LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, December 05, 2024 / Agrahayana 14, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 05, 2024 / Agrahayana 14, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **1 – 30**
(S.Q. NO. 141 – 147)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **31 – 50**
(S.Q. NO. 148 – 160)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS **51 – 280**
(U.S.Q. NO. 1611 – 1840)

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, December 5, 2024 / Agrahayana 14, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 5, 2024 / Agrahayana 14, 1946 (Saka)

C ON T E N T S — P A G E S

RE: OBSERVANCE OF RULES, PROCEDURE AND UPHOLDING THE DIGNITIY OF HOUSE	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 301**
MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA - LAID	**302**
COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES	**302**
1st to 4th Reports	
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**303**
MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	**304 - 06**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**307 - 19**
Shri Balabhadra Majhi	**307**
Shri Pradeep Purohit	**308**
Shri Ramesh Awasthi	**308**
Shri Suresh Kumar Kashyap	**309**
Shri Arun Kumar Sagar	**310**
Dr. Vinod Kumar Bind	**311**
Shri Ajay Bhatt	**311**
Shri Dilip Saikia	**312**
Shri Arun Govil	**312**
Shri Ananta Nayak	**313**

Shri Ashok Kumar Rawat 313

Shri Vishweshwar Hegde Kageri 314

Shri Harish Chandra Meena 314

Sushri Praniti Sushilkumar Shinde 315

Shri Kodikunnil Suresh 315

Sushri Iqra Choudhary 316

Shri Lalji Verma 316

Shri Asit Kumar Mal 316

Shri Tharaniventhan M.S. 317

Shri Sunil Kumar 317

Shri Sanjay Dina Patil 318

Shrimati Supriya Sule 318

Shri Ravindra Dattaram Waikar 319

… 320 - 21

RAILWAYS (AMENDMENT) BILL 322 - 24
(Contd. - Inconclusive)

Shri Ashwini Vaishnaw 322 - 24
(Speech not finished)

… 325

RAILWAYS (AMENDMENT) BILL 326 - 27
(Contd. - Inconclusive)

Shri Ashwini Vaishnaw 326 - 27
(Speech not finished)

(1100/KN/SAN)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 141. श्री हनुमान बेनीवाल जी।

(प्रश्न 141)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने देश की आधारभूत संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए, जिस दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन 12 फरवरी, 2023 को किया, चंद महीनों में बारिश ने सड़क के गड्ढे और निर्माण को उजागर कर दिया। राजस्थान से गुजर रहे इस एक्सप्रेसवे पर अब तक 150 यात्रियों की मौतें दुर्घटनाओं में हो गईं और 50 मौतें केवल दौसा जिले में हुई हैं। हाल ही में कोटा जिले में इस एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन टनल में हादसा हो गया। किसानों की बेशकीमती सिंचित जमीन आपने इस प्रोजेक्ट में कम दामों पर अवाप्ति की। इस एक्सप्रेसवे का मकसद सफल नजर नहीं आ रहा है।

मंत्री जी, आपने मुझे जो जवाब दिया है, उसी क्रम में मैं अपना पहला सवाल पूछ लेता हूं। आपने जवाब में कहा है कि स्टोन मैस्टिक ऐस्फॉल्ट (एसएमए) की परत की गुणवत्ता में कुछ कमियां देखी गई हैं। उसके आगे के बिंदु में आपने बताया है कि अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदारों और पर्यवेक्षण सलाहकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या आप बताएंगे कि अंतिम जांच रिपोर्ट कितने दिनों में आएगी? आप उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, जो एक लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में गम्भीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं? एनएचएआई के अधिकारियों को केवल कारण बताओ नोटिस देकर पीछा छोड़ देने से इसमें सुधार सम्भव नहीं है। यह मेरा पहला सवाल है।

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देश का पहला लोन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है और जो सबसे कम समय में ग्लोबली बनाया गया है। इसकी कीमत एक लाख करोड़ रुपये है। इससे हम दिल्ली से मुम्बई 12 घंटे में जा सकेंगे और 200 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ है। यह हाइवे जो बनाया गया है, it is for the first time in India that a new technology in terms of perpetual pavement with wearing course of SMA, Stone Mastic Asphalt, has been used. यह अमेरिका के एक्सप्रेसवे, हाइवे में यूज हुआ था। इसका पहला प्रयोग हिन्दुस्तान में हुआ है और इसलिए इस कॉन्ट्रैक्टर का जो गारंटी पीरियड है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरयिड है, वह 10 साल है। This technology is used in high-density corridors across the USA and Europe. It provides a superior riding quality to cement-concrete as an alternative. सीमेंट में जो पेवमेंट होता है, वह हार्ड होता है। इसमें जो बिटुमिन है, उसके कारण बेहतर कंफर्ट्स मिलते हैं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। इसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड दस साल है। आफ्टर नोटिसिंग डेफिशिएंजीज़, हमने आईआईटी, खड़कपुर और आईआईटी, गांधीनगर दोनों को अपॉइंट किया था। The initial findings of the investigation show that there are deficiencies in the SMA layer. यह जो एसएमए लेयर है, इसमें टायर जाने के बाद कुछ जगहों पर वह दब गई है। But all the below-layers are intact and up to the mark. इसके नीचे वाली जो लेयर है, वह बराबर है। यह जो एसएमए लेयर में फर्क आया है, उसमें मटैरियल में बदमाशी नहीं हुई है, पर कुछ जगहों पर वह रुकी है। वह नीचे जरा दब

गई है, यह ध्यान में आया है। The thickness of individual bituminous layers was varying, but the overall thickness was the same as per the design.

इसके बाद हमने इसे सुधारने के लिए उनको ऑर्डर दिया है और उन्होंने सुधारने का काम किया है। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का इसमें पहली बार उपयोग किया है। इसके बावजूद भी दस साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड इसमें जान-बूझकर रखा गया था। इसमें पहली बार प्रयोग करते समय कुछ कमी होगी तो उसे दूर करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे से दस साल तक इसके सब डिफेक्ट्स को सुधारेगा। यह उसकी जिम्मेदारी है और उसका काम भी शुरू हुआ है। लगभग तीन महीने के अंदर पूरा काम हो जाएगा। इस विषय में जहां यह लेयर में फर्क आया है, इसके लिए हमने चार कॉन्ट्रैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया है।

(1105/VB/SNT)

हम नोटिसेज देकर उनको टर्मिनेट करेंगे, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें जो मिस्टेक हुए हैं और इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेवार हैं, हम उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। मैं आपके मार्फत से, सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि क्वालिटी के बारे में हम किसी प्रकार का कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिस तरह से, हमारे डिपार्टमेंट ने सात वर्ल्ड रेकॉर्ड्स बनाए हैं, वैसे ही मैंने तय किया है कि लोगों को सस्पेंड करना, जो काम के लोग नहीं है, उनको ज़बरदस्ती रिटायर करना और कांट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्टेड करने लिए ऑलरेडी बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की है। हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। मैं यह विश्वास इस सदन और सम्मानीय सदस्य को दिलाना चाहता हूँ।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया, लेकिन एक साल के अन्दर, यह एक लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, आप कह रहे हैं कि 10 साल की गारंटी है। लेकिन अभी जो डेढ़ सौ मौतें हुई हैं, उनका जिम्मेदार कौन होगा?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस एक्सप्रेस वे के दौसा-सोहना खंड के निर्माण में डामर व अन्य मैटेरियल... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सर, अर्थ कॉम्पैक्शन बहुत जरूरी था, जो सही से नहीं किया गया। टेक्निकल एक्सपर्ट के मुताबिक मिट्टी की छ: इंच की प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर कुटाई नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष : आप टेक्निकल इंजीनियर थोड़े ही हो? मंत्री जी ने बता दिया है। आप पूरा ही पढ़ने लग जाते हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सर, प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर्ली कुटाई नहीं की। ऐसे में कई जगहों पर सड़क ऊँची-नीची रह गई। इस तकनीक की खामी में कब तक व्यापक सुधार कर लिया जाएगा क्योंकि पूर्व में भी मैंने आपको सड़कों की खराब गुणवत्ता के बारे में लिखित शिकायतें दी है, लेकिन उन पर आज तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। आप उसके बारे में बताएं।

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात यह है कि मैटेरियल में जो नीचे वाली लेयर है, जब उसकी टेस्टिंग की गई, तो वह इंटैक्ट है, वह स्टैंडर्ड में अप टू द मार्क है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। विशेष रूप से, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसके लिए अमेरिका की जो एसएमए टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक मैटेरियल बराबर डाला गया है।

उसमें बेईमानी नहीं हुई है। लेकिन उसकी जो लेवल थी, वह कुछ जगह पर एक है और कुछ जगह पर एक इंच ऊपर है। इसके कारण उसमें बम्प आया है। उसमें मैटेरियल उतना ही है। उस काम में जिस प्रकार की चिंता करनी चाहिए, उसमें थोड़ा नेग्लिजेंस है। इसके लिए मैंने सम्मानित सदस्य से कहा है कि इसमें हम लोग चार कांट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उनको टेंडर भरने की मनाही करेंगे। हमने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि अगर कोई कांट्रैक्टर खराब क्वालिटी का काम करता है, तो वह छ: महीने या एक साल तक कोई टेंडर नहीं भर सकेगा। इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, कार्रवाई के तहत हम उनको नोटिस देकर सस्पेंड करेंगे।

मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए हैं। बेनिवाल जी, आपके यहाँ के काम भी मैं लेकर आया हूँ। किसी भी कांट्रैक्टर को अपने सैंक्शन कराने के लिए मंत्रालय नहीं आना पड़ा है। हम ट्रांसपैरेंट है, टाइम बाउंड हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि अगर कांट्रैक्ट ठीक से काम नहीं करेगा, तो उसको बुलडोजर के नीचे डलवा देंगे, यह याद रखना। यहाँ तक लोगों को धमकाया है। आप इस साल देखें, कैसे कांट्रैक्टर्स ब्लैक लिस्टेड होते हैं। इनको बिल्कुल ठोक-पीटकर मैं सीधा कर दूँगा। हम किसी के साथ कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : माननीय मंत्री जी, एक साल में 150 लोग मरे हैं।

श्री नितिन जयराम गडकरी : मैं इसमें थोड़ा सुधार कर देता हूँ, 150 लोग नहीं... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : केवल एक जगह डेढ़ सौ लोग मरे हैं।

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क में इसके कारण एक्सीडेंट्स हुए हैं, ऐसी बात ज्ञात नहीं हुई है। हमारे देश में डेढ़ लाख लोग मरते थे और 5 लाख एक्सीडेंट्स होते थे। सम्माननीय सदस्य डेढ़ सौ लोगों की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए दुखी हूँ। इससे 1 लाख 68 हजार लोग मरे हैं। ये किसी दंगे में नहीं मरे हैं, किसी लड़ाई में नहीं मरे हैं। मैं सदन से सभी सदस्यों को आह्वान करना चाहता हूँ कि हर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता में हमने रोड सेफ्टी कमेटी अपॉइंट की है और 40 हजार करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट्स के लिए डाले हैं। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है और चार बार मेरे पैर टूटे हैं। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। इसके अलग-अलग कारण हैं। उनकी चर्चा जब कहीं होगी तब होगी, लेकिन मैं आपके मार्फत, सभी सम्माननीय सदस्यों से आह्वान करता हूँ कि जो मरने वाले लोग हैं, उनमें 18 वर्ष से 34 वर्ष की वय-वर्ग के लड़के-लड़कियाँ हैं।

(1110/PC/AK)

उनको बचाने के लिए आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी है, आपके जिले में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनके रेक्टिफिकेशन में आप सहयोग कीजिए। इस रोड पर भी कोई एक्सीडेंट अगर इसके कारण होता है, जो कि अभी तक ज्ञात नहीं है, तब भी हम इसकी चिंता करेंगे। हायर-स्पीड के कारण कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं, उनके ऊपर भी हम चिंता करेंगे।

श्री अमरा राम (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है। सेकेंड नंबर में सप्लिमेंट्री नहीं पूछी जाती है। … (व्यवधान)

श्री अमरा राम (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं है। माननीय मंत्री जी ने श्री हनुमान बेनीवाल जी को उत्तर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एक्सप्रेस हाईवे में पर-किलोमीटर क्या लागत आई है? दूसरा, चार महीने पहले यह हाईवे टूट गया और अभी आप कह रहे हैं कि अनुबंध के समझौते के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार हम उन पर कार्रवाई करेंगे। चार महीने में कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई में कितना समय लगेगा? आप केवल ब्लैक लिस्ट करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। पूरे देश में सबसे हाइएस्ट टोल इस हाईवे पर जनता से लिया जा रहा है। इससे ज्यादा टोल देश में कहीं और नहीं लिया जा रहा है। लोगों को छ: महीने से परेशानी हो रही है। आप केवल उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय अमरा राम जी, आप व्यवस्था के अनुसार चलिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री नितिन जयराम गडकरी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जवाब देने के पहले ही नोटिसेज़ इश्यू हो गए हैं। नियम यह कहता है कि कार्रवाई करने से पहले नोटिस देनी पड़ती है। मैंने ऑलरेडी विभाग को इंस्ट्रक्शन दे दी है। चार कॉन्ट्रैक्टर्स पर नोटिस के बाद तुरंत कार्रवाई होगी। अधिकारियों को सस्पेंड करने के भी आदेश दिए हैं। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं, यह टोटल 1,368 किलोमीटर्स की रोड है, जो कि दिल्ली से मुंबई तक है। इसमें कुछ जगहों पर जो पुरानी रोड थी, उससे डिस्टेंस 220 किलोमीटर कम हुआ है। मुंबई से दिल्ली जाने के लिए कम से कम 32-36 घंटे लगते थे, अब आप 12 घंटे में जाएंगे, तो डीजल और पेट्रोल बचेगा। … (व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। एक ट्रक को मुंबई जाने के लिए तीन दिन लगते थे। अब वह काम 18-20 घंटे में होगा, तो ट्रक ज्यादा फेरी मारेगा, इससे कॉस्ट बचेगी। … (व्यवधान) पब्लिक प्राइवेट इनवेस्टमेंट में मार्केट से पैसा ला करके रोड बनाई गई है, यह उसका टोल है। इसके ऊपर भी हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं। इस पर अध्ययन चल रहा है। अगले सेशन से पहले आपके लिए कोई टोल नाका नहीं रहेगा, कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। ऐसा नया सिस्टम, वर्ल्ड की बैस्ट टैक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं, वह लागू होगी। कम से कम, आप जितना प्रवास करेंगे, उतना ही टोल लगेगा, पूरा टोल नहीं लगेगा।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you very much Sir for giving me an opportunity. With great pain and sorrow, I would like to ask a question through you Sir.

Two days ago, in one major accident, five medical students died in my Constituency. Three students were severely injured, and they are in a critical condition now. We have passed the Road Security Act. As per the Good Samaritan Law, there should be a provision of immediate care and attention.

As per the Law Commission of India, 50 per cent of these victims died of preventable injuries and could have been saved if they had received care on time. We have also discussed about the issues in design of the National Highways several times, which is also one of the reasons for these accidents.

My question to the hon. Minister is this. We have passed the Bill and we passed the rules, but those rules and the law are not implemented properly in this country. Is the Government going to take serious note on this aspect? This is one of the serious issues as five medical students had died. They were studying in first year in that college. They all died in that accident. Are you going to take serious action on this issue?

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Hon. Speaker Sir, the hon. Member is making a reference to the Ernakulam bypass for two cities in Kerala. There are 90,000 traffic PCUs and the road is in BOT agreement.

Actually, yesterday there was a Question in Rajya Sabha. We have already sanctioned the Ernakulam Bypass. Secondly, regarding the existing road also, the BOT contractor has gone to the court and the matter is *sub-judice*. We will find a way out. … (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I am talking about the Alleppey accident. … (*Interruptions*)

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Actually, the accident that took the life of these five students happened on this road. … (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): It is a National Highway. … (*Interruptions*)

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Yes, I accept it that it is a National Highway. The problem is that there are some black spots. The Government has already decided to spend Rs. 40,000 crore on black spots.

(1115/IND/UB)

Black spots are there because of the mistakes in the Detailed Project Report, and we are very much committed to that.

There are four reasons behind road accidents – road engineering, automobile engineering, enforcement of law and education of people. The biggest problem in the society is that the people neither respect the law nor

have fear of the law. छोटी-छोटी बातें हैं, जैसे रेड सिग्नल पर लोग रुकते नहीं हैं। कल रात मेरे सामने एक गाड़ी रेड सिग्नल क्रास करके निकल गई। ऐसी ही कई और भी बातें हैं जैसे हेल्मेट न पहनने के कारण 30 हजार लोगों की मौत होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो रूल्स ऑफ दि रोड है, जिनका पालन हमारे देश के लोगों को करना चाहिए, उसमें काफी कमी होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। सरकार इसके लिए बहुत कमिटेड है। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। मेरे स्वयं का एक्सीडेंट हुआ और मेरा पैर चार जगह से टूटा हुआ है, जब मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ दि आपोजिशन था। मैं इस विषय में लगातार संवेदनशील हूं। मुझे यह स्वीकारने में संकोच नहीं हो रहा बल्कि दुख हो रहा है कि हमारी कोशिश के बावजूद भी पहले जो संख्या डेढ़ लाख मौतों की थी, वह इस साल 1 लाख 68 हजार मौतें हुईं, without cooperation from the people, media and society.

महोदय, यह समाज की बहुत बड़ी प्राब्लम है। आप भी इस विषय में अलग से चर्चा रखिए। हम इस समस्या का समाधान निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। We are committed to that. Whatever good suggestions are coming from your side, we are ready to accept them. हमने फाइन के रेट्स बढ़ा दिए। रोड सेफ्टी बिल में जो था, वह हमने सब किया। फिर भी लोग रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो यह भी हमारी जिम्मेदारी है कि रूल्स को फालो कराएं।... (व्यवधान) We will try to do that. यह कंकरेंट लिस्ट में है। यह स्टेट सब्जेक्ट भी है और सैंट्रल सब्जेक्ट भी है। मैं दोनों में से किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं और मैं अपने को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। We will do it.

(इति)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्य जो बैठे-बैठे पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब मत दीजिए। जब इन्हें बोलने का अवसर दिया गया है, तो ये बैठे-बैठे क्यों टिप्पणी कर रहे हैं?

आप वरिष्ठ सदस्य हैं। जब मैंने आपको बोलने के लिए एलाऊ कर दिया है, तो बैठे-बैठे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : यह बहुत सीरियस मैटर है।

माननीय अध्यक्ष : लेकिन बैठे-बैठे टिप्पणी करना भी संसदीय तरीका नहीं है।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I am sorry, Sir.

(Q.142)

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): Sir, I would like to know this from the hon. Minister. How many kilometres of transmission lines have been laid under the Yojana as on date? Are there any plans or proposals to modernise or upgrade the rural power infrastructure to ensure stability?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, वैसे तो यह सवाल डिस्ट्रिब्यूशन के संबंध में है। ट्रांसमिशन के संबंध में आरडीएसएस के अंतर्गत जो विचार किया है, उसके संबंध में इन्होंने पूछा है। यदि ट्रांसमिशन के संबंध में अलग से प्रश्न आएगा तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। आज आरडीएसएस के माध्यम से जो कुछ योजनाएं तय की जाती हैं, उसके अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर्स के ऊपर ही सारा काम किया जा रहा है इसलिए यदि डिस्ट्रिब्यूशन के संबंध में कोई बात आती है तो उसका जवाब दिया जाएगा।

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): The hon. Minister has given the data of achievement with respect to the Below Poverty Line households up to September, 2017. I would urge upon the hon. Minister to give the current status of the total number of BPL households electrified under the Yojana.

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, बीपीएल के 49,25,000 हाउसहोल्डस को इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया है।

(1120/SRG/RV)

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): The hon. Minister has given the number of connections provided to the Below Poverty Line households up to September 2017. Will the hon. Minister give the current status about the total number of BPL households electrified under the DDUGJ Yojana?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी तक इलेक्ट्रिफाइड हाउसहोल्ड्स की संख्या 2,86,13,000 है। अभी तक डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य स्कीम योजना का लाभ पहुंचा दिया गया है।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : महोदय, सरकार ने बीपीएल के लिए फ्री बिजली कनेक्शन लगाने और उस पर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ न पड़ने की बात कही थी, यह उत्तर में लिखा है। पर, देश में एस.सी., एस.टी., ईबीसी, ओबीसी या किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के जो गरीब लोग हैं, ऐसे बीपीएल परिवारों को अभी तक फ्री कनेक्शन देने की कोई घोषणा आपने नहीं की है।

दूसरी बात यह है कि जो गरीब लोग गांवों से आकर शहरों में काम करने लगे हैं, जिनमें मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके पास सरकार के द्वारा किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। उनके घरों को विद्युतीकृत करने में काफी दिक्कत हो रही है।

महोदय, बिहार में स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों पर एक बड़ा बोझ डाला जा रहा है, तो क्या इन स्मार्ट मीटर्स पर कोई अंकुश लगेगा? ये स्मार्ट मीटर्स बहुत ही खतरनाक हैं। मेरा आग्रह है कि इन स्मार्ट मीटर्स को बंद किया जाए। यह किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए है। बीपीएल परिवार को हर कीमत पर फ्री बिजली कनेक्शन देने का काम किया जाए।... (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, देश भर में सभी गांव के सभी हाउसहोल्ड्स को बिजली मिले, इस नाते अलग-अलग समय पर अलग-अलग योजनाएं चलायी गयीं। वर्ष 2014 से पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अथवा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलायी गयी। उसके बाद उन दोनों योजनाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और सौभाग्य योजना में सम्मिलित कर दिया गया। मैं समझता हूं कि इसमें सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंच गयी है। कहीं एक-दो राज्यों की शिकायत है कि उनके यहां दूरदराज के कुछ जो मजरे-टोले हैं, वहां तक अभी बिजली नहीं पहुंची है। उसमें भी पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत हम बिजली पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

महोदय, इसके अन्दर अब अन्त में आरडीएसएस योजना है। इस योजना के अन्तर्गत हर गरीब परिवार को कनेक्शन देने के लिए कुछ कंडीशंस डाली गयी हैं कि जो परिवार इस कंडीशन पर गरीब परिवार होगा, उन्हें बिजली मुफ्त मिलेगी। उसके अन्तर्गत जो-जो परिवार एलिजिबल हैं, उन सब परिवारों को और सभी को कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। यह योजना वर्ष 2021 में शुरू की गयी थी। पर, यह योजना कुछ देरी से शुरू हुई और इसको वर्ष 2022 से शुरू किया गया। कुछ प्रांतों में इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले एक वर्ष के अन्दर शेष प्रांतों में इन सब गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली देने का काम कर दिया जाएगा।... (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 143)

श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने वर्ष 1975-76 में पूर्व प्रधान मंत्री के कार्यकाल के दौरान दिल्ली राज्य में '20 सूत्रीय कार्यक्रम' के तहत भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि और 120 गज के भूखंड आवंटित किए हैं?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि और भूखंडों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है? भूमिहीन लोगों को मालिकाना हक न देने के क्या कारण हैं?

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न तो आपने पूछ ही लिया है। आप यह प्रश्न जो पढ़ रहे हैं, वह मत पढ़िए।

अब आप सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए। आप क्या जानना चाहते हैं?

(1125/GG/RCP)

श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर मुझे मिला है, उसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा यह बताया है कि वर्ष 1975-76 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि और 120 गज के भूखंडो का जो ब्यौरा दिल्ली सरकार ने दिया है, यह जानकारी उन्होंने गलत दी है, इस सदन को गुमराह किया गया है। जबकि बहुत बड़ी संख्या में उस समय ग्राम सभा होती थीं। पहले अनुसूचित जाति के लोगों को और उसके बाद सभी समाज के लोगों को ग्राम सभा ने प्लाट दिए हैं। 120 गज के प्लॉटों का मालिकाना हक आज तक उनको नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि उनको मालिकाना अधिकार दिया जाए। … (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा सदस्य महोदय ने पूछा है, इसमें यह ठीक है कि वष 1974-75 के अंदर कुछ प्लॉट्स उनको एलॉट किए गए थे, जिनकी संख्या उस समय बहुत ही नॉमिनल थी, लेकिन बाद में उनको स्वामित्व के अधिकार नहीं दिए गए, क्योंकि उस समय गवर्नर साहब ने एक पत्र लिखा कि एज़-पर रूल्स उनको स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसलिए उसके बाद उनको स्वामित्व के अधिकार देने के लिए अलग से योजना बनाई गई। यानि वर्ष 1974-75 में न दे कर, वर्ष 1989 में 2,045 लोगों को ओनरशिप के राइट्स दिए गए हैं, जबकि एलॉटमेंट 18,690 लोगों को हुई थी।

श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से वह सूची चाहता हूँ जो एलजी साहब ने कौन सा ऐसा पत्र निकाला और कितने लोगों को मालिकाना अधिकार दिया गया? मेरी जानकारी के अनुसार एक भी व्यक्ति को 120 गज के प्लाट का मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया। उसी के साथ-साथ अनुसूचित जाति के भूमिहीन लोगों को एक एकड़ जमीन कृषि के काम करने के लिए दी थी। वह भी आज तक, सन् 1975 के बाद,

मालिकाना हक के लिए जगह-जगह जूझ रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि यह जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इन लोगों को मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए, जो सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिया है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार 2,045 लोगों को ओनरशिप के राइट्स मिल चुके हैं। इसकी सूची सदस्य महोदय को उपलब्ध करवा दी जाएगी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में भूमिहीनों को खेतीबाड़ी के लिए एक एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों को खेती-बाड़ी के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई, उनमें से कितने भूमिहीनों को मालिकाना अधिकार दिया गया है या भूमिधर बनाया गया है? इसी के साथ-साथ 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जिन लोगों को आवासीय प्लॉट्स दिए थे, उन लोगों ने अपने घर भी उन प्लाट्स के ऊपर बना लिए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उनको कब तक मालिकाना अधिकार दे दिया जाएगा, जिससे कि वे अपना जीवन सम्मान के साथ जी सकें? यह मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। दिल्ली सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस मामले को सुलझाने की कृपा करें, जिससे कि जिन लोगों को खेती-बाड़ी के लिए जमीन मिली है या जिन लोगों को रेसिडेंशियल प्लाट्स मिले हैं, उनको मालिकाना अधिकार मिल सके।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमको मालूम है कि दिल्ली के जितने गांव हैं, उनमें से 252 गांव, और जब-जब इसका नोटिफिकेशन हुआ तो उनको ग्रामों की संज्ञा से समाप्त कर उनको म्यूनिसिपैलिटी के अंदर शामिल कर लिया गया। और सैक्शन 507 यह बताता है कि जैसे ही गांव म्यूनिसिपैलिटी में आ जाता है, तब वह सारी जमीन डीडीए के पास चली जाती है। तो ऐसी जमीनें जो डीडीए के पास आई हैं, ऐसे लोगों को और उनको एक एकड़ जमीन का जो अधिकार दिया गया है, वह संख्या इस प्रकार है कि कुल मिलाकार 4,964 ऐसे लोग हैं, जिनको ये प्लॉट्स दिए गए हैं।

(इति)

(1130/PS/MY)

(Q.144)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, during the Second World War, a number of airfields were constructed with the support of the American Government. One such airfield was subsequently developed as an Aviation Research Centre at Charbatia, adjacent to Cuttack, which has more than 2,400 acres of land under its control. That airfield is now becoming defunct.

My question to the hon. Minister is whether the Civil Aviation Ministry will take adequate steps to take control of this airfield from Defence, and utilise it for civilian purpose.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Hon. Speaker, Sir, as the hon. Member has mentioned, the Charbatia Air Base is currently with the Aviation Research Centre. From the Civil Aviation Department, under the leadership of our hon. Prime Minister, we want to expand the airport network as much as possible. जितना ज्यादा बन जाए, उतना हमारे लिए अच्छा है। But when it comes to these airports being operated or owned by certain different institutions, once the institution agrees to let it operate for civilian operations, only then we come into the picture. So, I understand the request coming in from the hon. Member but I would say that if the State also comes in and if the State and obviously, the Aviation Research Centre -- अभी जिसके पास एयरपोर्ट है -- agree to run for civilian operations, then the Ministry of Civil Aviation will go ahead with the proposal.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I just want a clarification here. With the development of technology, now the Aviation Research Centre is being operated in and around Delhi. So, that airfield is becoming defunct. Not a single aircraft is being operated for the last three years.

My second supplementary is this. The International Civil Aviation Organisation's (ICAO) study shows that air connectivity has an economic multiplier of 3.25 and an employment multiplier of 6.1. My question is, will the Minister let us understand the total increase of inoperational airports since 2014, and the impact of widespread and affordable air travel on general population from Tier-II and Tier-III cities?

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, I will give you a general picture from 2014. What were 74 airports in 2014, now, in the last ten years, we have expanded the whole airport network to 157 airports. And I can proudly say that India has reached that passenger capacity limit where they have crossed five

lakh passengers in one single day. This is a great achievement and a great milestone for the Ministry of Civil Aviation, and we take great pride in that. With the improvement of the network, a large number of passengers have come into this air travel network.

The hon. Member has specifically asked regarding the job creation multiplier and economic multiplier. The numbers have already been mentioned. But one important statistic that I would like to give is this. If you look at the Chennai airport, the Chennai airport is being built in 1,350 acres and the daily passenger movement is 72,000 there, and for 72,000 people moving every day, the kind of job creation Chennai creates today is 20,000 direct jobs with the multiplier effect. So, one direct job being created in aviation sector results in up to six more jobs either direct or indirect within the aviation network. As per the ICAO's study, the multiplier effect is 6.7; in countries like India, the multiplier effect can go up to 15. So, if I am saying that 20,000 jobs are being created in Chennai airport itself, the indirect jobs can be up to 1.2 lakh to 3 lakh jobs. So, you can imagine that with the number of passenger movement that is happening in all the airports; we have created 80 airports in these Tier-II and Tier-III city networks.

(1135/SMN/CP)

So, when passenger movement is there, obviously, job creation also subsequently will happen. As for the specific figure, I will give it in writing to the hon. Member.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी और प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आरसीएस फ्लाइट्स और उड़ान योजना के तहत पिछले 10 सालों में जो प्रोग्रेस हुई है, वह अपने आप में सराहनीय है। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में, पाली जिले के सोजत में एयरस्ट्रिप एवलेबल है, लेकिन यह उड़ान डाक्यूमेंट के तहत अनसर्व्ड एयरस्ट्रिप है। पांच राउंड्स में भी वहां पर कोई प्रपोजल नहीं आया है। मैं मंत्री जी की नोटिस में लाना चाहूंगा कि हाल ही में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो 12 इंडस्ट्रियल कोरीडोर्स डिक्लेयर हुए हैं, उसमें पाली में भी एक इंडस्ट्रियल कोरीडोर डिक्लेयर हुआ है। पाली लोक सभा क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा 932 करोड़ रुपये दिए गए हैं और 7,500 करोड़ रुपये और दिए जाएंगे। आपने 5 राउंड्स लिए हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपका बिडिंग प्रोसेस क्या कंटीन्युअस प्रोसेस है या इस प्रोसेस को आप क्लोज कर देंगे? इन फैक्ट्स को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि देश के 12 में से 1 इंडस्ट्रियल कोरीडोर पाली जिले के सोजत में बिडिंग प्रोसेस शुरू होगा या नहीं?

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, the hon. Member has mentioned that UDAN has been the revolutionary scheme for the civil aviation network. Under the UDAN scheme, whatever unserved or underserved airports are there, the only way we could invite the airlines to run on some routes from those airports was giving viability gap funding and this was happening through the UDAN. 'उड़े देश का आम नागरिक', यही सोच हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की है कि आम नागरिक, हमारे देश की आम जनता भी हवाई जहाज से ट्रैवल करे। उस सोच को सही साबित करने का काम हमने उड़ान योजना के तहत किया है। हमने आइडेंटिफाई किया है सोजत एयर स्ट्रिप पाली में है। माननीय सांसद जी ने बताया कि यह एक स्ट्रैटिजिक लोकेशन है और वहां इंडस्ट्रियल हब भी बनने वाला है। उस जगह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी एयर कनेक्टिविटी बहुत उपयोगी होगी। उड़ान में अगर कोई भी एयरपोर्ट लिस्ट हो जाता है तो वह कंटीन्युअस बिडिंग में रहता है। अगर इस बार एयरलाइन्स नहीं आए तो दूसरे राउंड में हम जरूर लगाएंगे। उन्होंने प्रश्न भी उठाया, तो हमारी यह कोशिश रहेगी कि वहां से किसी भी तरह एक प्लेन को हम चलाएं, तो उसकी कंटीन्युअस बिडिंग चलती रहेगी।

माननीय अध्यक्ष : आप जवाब अच्छा देते हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट और करिए। आप जवाब प्रॉपरली देते हैं।

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : क्वैश्चन में दो-तीन का समाधान हो जाता है तो इसलिए एक्सपेंड कर देता हूं।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री से मेरा स्पेसिफिक क्वैश्चन बिहार को लेकर है। बिहार में बिना सेवा वाले हवाई अड्डों के विकास के लिए सरकार की योजनाएं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और उड़ान के तहत क्या हैं? साथ ही, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कटिहार आरसीएस मार्ग को उड़ान - थ्री के तहत बोली लगाने के लिए प्रस्तावित किया गया है? यदि हां, तो कटिहार हवाई अड्डा जो हमारे संसदीय क्षेत्र में है, वहां कब तक इसके चालू होने की उम्मीद है? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा। … (व्यवधान)

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : पूर्णिया का भी बता देते हैं। हमने पूर्णिया का टेंडर वैसे कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष : हमारे मंत्री महोदय भी जबरदस्त हैं। इतना कहता हूं कि बैठे-बैठे बोलने वाले माननीय सदस्य का जवाब मत दीजिए, पर जवाब देते ही हैं।

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : सर, कटिहार का भी कर देंगे। For Katihar, we will just verify and let you know when exactly we can start the operations and for the other airport in Purnia, we are at the final stages. टर्मिनल बिल्डिंग का टेंडर अभी निकालने वाले हैं।

श्री कीर्ति आज़ाद (बर्धमान-दुर्गापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास कोई ऐसा प्रस्ताव आया है कि दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में काज़ी नज़रुल इस्लाम एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात हुई है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है? वहां पर काफी जमीन है। वहां पहले एयर इंडिया की फ्लाइट्स भी चला करती थीं और वह देश के पांच सबसे बड़े

औद्योगिक नगरों में से एक है। वहां बड़े-बड़े पीएसयूज़ हैं, बहुत बड़े-बड़े उद्योग हैं। इसलिए आवश्यकता है कि वहां यातायात को बढ़ाया जाए। इसको लेकर माननीय मंत्री जी कुछ जानकारी दें, तो बड़ी कृपा होगी।

(1140/NK/SM)

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : अध्यक्ष महोदय, दुर्गापुर में अभी फिलहाल 650 एकड़ का एयरपोर्ट है जो फिलहाल कोड-सी एयरक्राफ्ट के लिए 2800 मीटर का रनवे है, काफी बड़ी फ्लाइट्स भी वहां चल सकती है। अभी फिलहाल कनेक्शन दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई के लिए है। दुर्गापुर एयरपोर्ट से और फ्लाइट्स चलाने की कैपिसिटी अभी है, अगर कोई डिमांड स्पेसिफिकली रहती है और उसको कनेक्ट करना है तो मिनिस्ट्री की तरफ से कोशिश रहेगी कि उस रुट पर भी हवाई जहाज चलाएं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने नीति के तहत 2008 के पश्चात् से लेकर आज तक 21 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लागू किये हैं। हम उस राज्य से आते हैं जहां की आबादी 14 करोड़ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव दिया था, वर्तमान में बिहटा और पटना में दो हवाई अड्डे बनाये जा रहे हैं, जिसमें कोई ग्रीनफील्ड और बड़े विमान को उतरने की संभावना नहीं है और क्रिटिकल है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार की 14 करोड़ जनता को क्या आप अपनी नीति के तहत एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसका प्रस्ताव आपके यहां लंबित है, उस पर विचार करके देना चाहेंगे। बिहार के लोगों को पूरे भारतवर्ष में जाकर हवाई जहाज पकड़ना पड़ता है। हम देश का दसवां हिस्सा हैं। 75 वर्षों में एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं मिला है।

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : अध्यक्ष महोदय, बिहार हमारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बिहटा एयरपोर्ट के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। बिहटा में एक नये टर्मिनल का शिलान्यास किया है। माननीय सांसद जी बता रहे हैं कि वहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी जरूरत है। हमारी भी यही राय है कि जितने ज्यादा एयरपोर्ट्स बनेंगे, कनेक्टिविटी के लिए उतना ही अच्छा है। जिस तरह से पटना का एयरपोर्ट है, बिहटा का एयरपोर्ट है, ये अभी इंडियन एयरफोर्स के पास है। हम उसको डेवलप कर रहे हैं। वह सेचुरेट हो जाएंगे। जिस तरह से एयर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पैसेंजर्स का नेटवर्क भी बढ़ता जा रहा है, बिहार जैसे शहर में जरूर दोनों सेचुरेट हो जाएंगे तो एक ग्रीनफील्ड की भी आवश्यकता रहेगी।

राज्य सरकार ग्रीनफील्ड बनाने के लिए लैंड इकट्ठा करके हमें साइट क्लियरेंस का प्रस्ताव करती है तो हम जरूर उसके लिए आगे बढ़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष: यह बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे माननीय सदस्य इस विषय पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के विस्तार के प्रति लोगों की अपेक्षाएं व अकांक्षाएं बढ़ी हैं, यह एक अच्छा संकेत है। (इति)

(Q.145)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I thank the young and energetic Minister for giving an honest answer. It has been said that six airports built at a cost of Rs.5,260 crore have been handed over to private parties. I would like to know from the hon Minister if the name of such a private party is Adani. If so, whether they are being given any further airports to bolster their kitty. I would like an honest answer. I want to know whether the name of the six concessionaires is Adani and whether they are being given any further airports for their benefit.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, the answer to the question that he has asked is yes. As he has mentioned, Rs.5,260 crore which had gone into the investment for infrastructure of the airports which has been leased out, has already been given back to the Airport Authority of India… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: देश में सब पारदर्शी तरीके से होता है।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I asked a simple question, not a complicated question. It is as to who these six airports were given to. The Minister is very intelligent. He has curtailed the question. Now, my question is coming.

You may know that NITI Aayog and the Department of Economic Affairs have recommended that not more than two airports should be given to the same entity.

(1145/RP/SK)

Now, with these six airports, the total number of airports in the Adani kitty becomes eight including the Mumbai Airport which they have obtained at gunpoint.

माननीय अध्यक्ष: आपका प्रश्न पूरा हो गया है।

… (<u>व्यवधान</u>)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, let me formulate the question. I may say that workers in all these airports opposed the privatisation. … (*Interruptions*)

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, in terms of intelligence, I cannot compete with my senior hon. Member of the House. He has asked a very simple question, and I have answered it very simply…. (*Interruptions*) I am answering the question only. … (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Please name these persons. … (*Interruptions*)

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Why? You have already done it. I have answered the question also…. (*Interruptions*)

Sir, when he talked about the Department of Expenditure, and the Department of Economic Affairs, it is totally false. It does not arise also. … (*Interruptions*) I am just mentioning the point why it does not arise in this case…. (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Why does the Government not allow to form a JPC? … (*Interruptions*)

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Why it does not arise in this case is because when the leasing out of these six airports was done, a thorough process was followed, and an Empowered Group of Secretaries (EGoS) was also formed headed by the CEO of NITI Aayog. The Secretary of Economic Affairs was part of that. When all these people were part of the EGoS, where does the point come that they were opposing these things? So, there was nothing like that. A thorough, competitive, and transparent bidding process was followed for leasing out these airports. So, whatever the hon. Member is saying are wild allegations. There is no fact in all of that.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अब सवाल नहीं पूछना है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया और बहुत स्पष्टता से उत्तर दिया है कि बिडिंग बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई। … (व्यवधान) इसमें कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है, केवल पैसेजेर्स खड़े करना एक आदत सी बन गई है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, क्या आप जवाब देना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

श्री किंजरापु राममोहन नायडू: माननीय अध्यक्ष जी, एक और सवाल उठाया गया था। … (व्यवधान) एक बात यह है कि सरकार इससे भागने वाली नहीं है, जो भी सवाल ठीक से पूछेंगे तो सीधा-सीधा उत्तर देंगे। उन्होंने एक और विषय उठाया था कि एम्पलाइज़ ने भी इसका विरोध किया था। … (व्यवधान) इसके होने की कोई संभावना नहीं है। एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया के पास जब ये एयरपोर्ट्स थे, एक क्लॉज़ है कि तीन साल तक एयरपोर्ट अथॉरिटी के एम्पलाइज़ को, जो कन्सेशनर है, जो एयरपोर्ट को ऑपरेट करेगा, 60 परसेंट they can retain them. If they are not retained or if their retention is not possible, they can come back. They are with AI only. All of them are with AI only. Nobody is losing job. So, there is no reason for anyone to be afraid कि यह लीजिंग पर जा रहा है तो हमारी नौकरी का क्या होगा? सब कायम है। जिनको प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास जाना है, जा सकते हैं, यह तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ही है। किसी के द्वारा नौकरी के बारे में विरोध करने की कोई संभावना नहीं है।

(इति)

(प्रश्न 146)

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया।

माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक 10,900 करोड़ रुपए दिए गए और लगभग 8,910 करोड़ रुपये खर्च हो चुक हैं। इसमें लगभग 9 लाख 89 हजार लोगों को नौकरी दी गई है।

(1150/KDS/NKL)

मैं झालावाड़, बारां से आता हूं, जो आकांक्षी जिला है। हमारे क्षेत्र में गार्लिक, ऑयल सीड्स का अच्छा प्रोडक्शन होता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह इन्फ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमारे हाड़ौती के क्षेत्र झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी में आपके संरक्षण द्वारा निफ्टिम, जो कुंडली में है, हमारे क्षेत्र में गार्लिक और ऑयल सीड्स प्रोसेसिंग के लिए कोटा यूनिवर्सिटी के सेंटर में, झालावाड़ में हॉर्टीकल्चर कॉलेज के सेंटर में जाएगा?

श्री रवनीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी का बहुत ज्यादा इस ओर ध्यान है, क्योंकि अगर किसान को फायदा देना है, उसकी इनकम डबल, ट्रिपल करनी है, तो फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा माध्यम है, जिससे हर पिछड़ा, गरीब वंचित, एससी इससे जुड़ते ही प्रॉफिट कमा सकता है। यह स्कीम 31 मार्च, 2021 को शुरू हुई थी और वर्ष 2026-27 तक यह चलनी है। इसमें 10 हजार 9 सौ करोड़ रुपये हमने रखे हैं। यह डिमांड ड्रिवेन स्कीम है। आपको खुद आकर अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपकी डिमांड मंत्रालय में आएगी, तो उसे हम पूरा करेंगे।

अध्यक्ष जी, आप भी राजस्थान से आते हैं। जिले से राज्य और राज्य से केंद्र सरकार सारी डिस्कशन्स करती हैं। राजस्थान के अलवर में अनियन बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात है। राजस्थान से सलाह-मशविरा करके आपका जो बारां जिला है, वहां पर पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा ओडीओपी स्कीम के तहत गार्लिक के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और हब है। इसी तरह से चुरु में ग्राउंड नट का भी है।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां) : सर, मैं मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इनका एक विजन है कि हमारे किसानों की आर्थिक आय बढ़े। मेरे क्षेत्र में दूध उत्पादन भी काफी अच्छा है। हमारे क्षेत्र में मोजेरेला चीज के लिए आपने बात रखी है। हमारे हाड़ौती, झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा आदि क्षेत्र में कई विदेशी पर्यटक आते हैं? क्या हमारे क्षेत्र में भी आप एक सेंटर ऑफ एक्सिलेंस खोलना चाहेंगे? जैसा कि आपने बोला है कि लोग आना चाहते हैं, जब तक लोग नहीं आएंगे, तब तक इस हेतु आप राशि नहीं देंगे। अंत में, मैं पूछना चाहता हूं कि लोग तभी आएंगे जब आप उनको इंसेंटिव देंगे। जो बैकवर्ड रीजन्स, आकांक्षी जिले हैं, वहां जब आप इंसेंटिव देंगे, तभी तो लोग आएंगे। मैं विनती करता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी और हमारे क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सिलेंस आप खोलें और एश्योरेंस दें, जिससे हमारे क्षेत्र को इसमें फायदा हो।

श्री रवनीत सिंह : स्पीकर साहब, दुष्यंत जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं और लगातार एमपी बनते आ रहे हैं। उनकी चिंता जायज है। किसान के पास सबसे नजदीक उसकी डेयरी है, उसकी गाय और भैंसें हैं। आप अंदाजा लगाएं कि इस स्कीम में अगर किसी ने अप्लाई किया है और जो आया है, वह

अमूल है। पता नहीं क्यों, हमारे राज्य जैसे पंजाब, राजस्थान आदि में को-ऑपरेटिव सोसायटीज नहीं आती हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के जो दूध उत्पादक हैं, तथा जो राज्य हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है।

सर, अंत में कहना चाहूंगा कि इन्होंने निफ्टिम की बात की। निफ्टिम हमारे बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। वे हमारे यहां कुंडली तथा राजस्थान के भी नजदीक हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनकी स्टडी स्टेट लेवल पर होती है, लेकिन आप निफ्टिम इंस्टीट्यूट में किसी को भी ट्रेनिंग देने के लिए भेजना चाहते हैं, तो उसका बंदोबस्त हम करेंगे। स्पेशल टीम्स जिलों में भी आपके पास भेजी जाएंगी। दूध की आपने जो बात की है, उसके लिए हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि स्पीकर साहब के जिले में दूध का कोई न कोई सेंटर आ सके।

(1155/MK/VR)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। असम में फूड प्रोसेसिंग का बहुत स्कोप है। नार्थ-ईस्ट में फूड प्रोसेसिंग का बहुत स्कोप है। केंद्र में पीएमकेएसवाई एक स्कीम है, जिसके द्वारा 10 करोड़ रुपये का आवंटन सेंट्रल गवर्नमेंट से जाता है।

मैं मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि असम में 10 करोड़ रुपये की जो पीएमकेएसवाई स्कीम है, उसको किन बेनिफिशरीज को दिया गया है और वह कितना आगे बढ़ी है? क्या ऐसे भी बेनिफिशरीज हैं, जिनको 10 करोड़ रुपये एलोकेट हो गया है, लेकिन उन्होंने खर्च नहीं किया है। उसके कारण पूरा 10 करोड़ रुपया ब्लॉक्ड हो चुका है। सैंक्शन हो चुका है, लेकिन वे नहीं ले रहे हैं। मैं इसका विवरण भी माननीय मंत्री जी से चाहूंगा।

श्री रवनीत सिंह : स्पीकर साहब, जैसा गौरव जी ने कहा, यह प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना है, इस स्कीम में स्मॉल और मिडियम सेगमेंट के इंवेस्टर्स आते हैं। अगर मैं असम की बात करूं, मैं टोटल फीगर के बारे में भी बात कर लूंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को इसके फायदे के बारे में बताना चाहता हूं। Any farmer can be a part of integrated cold chain and value addition. अगर उसके साथ कोल्ड चेन होगी तो वह दूध जैसे उत्पाद को उसमें रख सकता है। They can create infrastructure for agro processing clusters. They can also do expansion of the food processing and preservation capacity. They can also take the benefit of the Scheme for Food Safety and Quality Assurance. जहां तक इन्होंने असम की बात की है तो असम में अप्रूव्ड प्रोजेक्ट 112 हैं और ऑपरेशनल 53 हैं। प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1,329.27 करोड़ रुपये है। मैं इसके लाभ के बारे में बताना चाहता हूं। वहां पर 29,433 एम्पलॉयमेंट्स मिली हैं और फॉमॅर्स को 87,169 करोड़ रुपये की राशि मिली है। अगर आपको लगता है कि कोई प्रोजेक्ट बंद है तो मैं आपसे मिलकर इस बारे में बात करूंगा।

(इति)

(Q.147)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, development of national highways is our major achievement. There is no doubt about it. In Kerala, development work on MH-66 from Kasargod to Trivandrum is going on well. But despite the State Government's commitment for State's share in the development works of Angamali to Trivandrum, M.C. Road parallel line project, and also in the case of Kochi to Theni project, the progress is not going on at the same pace.

Sir, through you, I also want to know the status of the Kochi-Theni greenfield highway and Angamali-Trivandrum Bharatmala project. Thank you.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Hon. Speaker, Sir, the land acquisition cost in Kerala is about Rs.45 crore to Rs.50 crore per kilometre and the cost of construction is also about Rs.45 crore per kilometer whereas it is maximum Rs.20 crore in other parts of the country. So, acquisition of land in Kerala is a big problem. Primarily, a commitment was given by the hon. Chief Minister of the State that they would contribute to 50 per cent of the cost in terms of land acquisition for the purpose of national highways development. Initially they gave us Rs.5000 crore as their contribution to the project but later they informed me that it was very difficult for them to contribute that much of share in the land acquisition cost.

Sir, through you, I would like to inform the hon. Member that I have a meeting with the hon. Chief Minister tomorrow itself. We have already found a way out in terms of GST where the share of the State Government as well as of the Central Government is 9 per cent each will be the notional loss. On the basis of that, they will be exempted from GST. Then, we can also compensate it through royalty on aggregate sand and other things. So, we will find a way out. Tomorrow we are meeting the hon. Chief Minister of Kerala.

Sir, so far as the Kochi-Theni project is concerned, it is under DPR preparation. After completion of DPR, we will immediately go for the tender. So, we will positively consider this project.

(PP. 21-30)

(1200/SJN/SAN)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, similarly in our rural areas also, there are so many national highway projects. In respect of 12 cases from Kerala, we have got in principle approval for converting them into national highways, but we have not got the final sanction. What is the status of those 12 cases for which we have got in principle approval? I would like to know the exact position of these cases.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Actually, at the time of declaration, if we declare it as a national highway, then we have to take the responsibility for the maintenance of the road. For that reason, we have given in principle approval. When we declare it as a national highway, then we will start making expenditure on the project. But presently, the policy is changed. So, it is difficult to change a highway approved in principle into a national highway.

Sir, under the Gati Shakti Scheme, there are some special conditions for port and airport connectivity and on the basis of that, we can consider it on project-to-project basis. But presently, in this particular thing, there is no policy for conversion into an NH of stretches of roads for which in principle approval has been given.

(ends)

QUESTION HOUR OVER

सभा की मर्यादा, नियम तथा प्रक्रिया को कायम रखने के बारे में

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप संसद की मर्यादा, नियम तथा प्रक्रियाओं का पालन करें, ताकि हम संसद की मर्यादा को बढ़ा सकें। हमारे कुछ पालनीय नियम भी हैं, सभी माननीय सदस्य उनका पालन करते हैं।

मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 349 के अधीन कोई भी माननीय सदस्य सदन में केवल राष्ट्रीय ध्वज के अलावा लैपेलपिन या बिल्ले लगाकर नहीं आ सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप संसद के नियम और प्रक्रियाओं का पालन करें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

अगर हम संसद की गरिमा, प्रतिष्ठा और नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो सदन की गरिमा गिरेगी और कोई भी व्यक्ति अलग-अलग तरीके के बिल्ले या बैच लगाकर यहां आएंगे। आप राष्ट्रीय ध्वज को लगाकर आएं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी और तरह का बिल्ला लगाकर न आएं, मैं इसके लिए आपसे आग्रह करता हूं। आप इसका पालन करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर वे भी लगाकर आएंगे, तो उनको भी मना करेंगे। किसी भी तरह का बिल्ला लगाकर आएंगे, तो मना करेंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो या चाहे प्रतिपक्ष हो।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1203 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर – 2. श्री श्रीपाद येसो नाईक जी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I rise to lay on the Table : -

(1) A copy of the Notification No. S.O.3471(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 14th August, 2024, making certain amendments in Notification No. S.O.246(E) dated 17th January, 2024 sub-section (1) of Section 59 of the Energy Conservation Act, 2001.

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the NTPC Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the NTPC Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Power Grid Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Power Grid Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Power Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Power Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the REC Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the REC Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Review by the Government of the working of the GRID Controller of India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the GRID Controller of India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(f) (i) Review by the Government of the working of the North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong, for the year 2023-2024,

alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) (i) Review by the Government of the working of the SJVN Limited, Shimla, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the SJVN Limited, Shimla, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Joint Electricity Regulatory Commission (for the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh) Jammu, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Joint Electricity Regulatory Commission (for the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh) Jammu, for the year 2023-2024.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & Union Territories), Gurgaon, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & Union Territories), Gurgaon, for the year 2023-2024.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, we have given notice for an Adjournment Motion. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपने किस विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है?

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : महोदय, संभल विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संभल विषय पर बात होगी।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : अभी मैं शून्य काल में देखूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुमारी शोभा कारान्दलाजे जी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : महोदय, आप बात नहीं करने देते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने किस विषय पर बात नहीं करने दी है? मैंने आपसे उस समय भी कहा था, जब माननीय विदेश मंत्री जी बोल रहे थे। मैंने आपके और सदन द्वारा बनाए गए नियम-प्रक्रियाओं का पालन किया है। मैं नियम-प्रक्रियाओं का पालन करता हूं। मैं नियम-प्रकियाओं के बाहर नहीं जाता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर नियम-प्रक्रियाओं में होता कि सप्लीमेंट्री सवाल पूछ सकते, तो मैं आपको निश्चित रूप से मौका देता।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 4.

श्री सुरेश गोपी जी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI): Sir, I rise to lay on the Table :-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) A copy of the Review by the Government of the working of the Oil India Limited, Dibrugarh, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Oil India Limited, Dibrugarh, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Indian Oil Corporation Limited, Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Indian Oil Corporation Limited, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the ONGC Videsh Limited (OVL), New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the ONGC Videsh Limited (OVL), New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(f) (i) Review by the Government of the working of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, Guwahati, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, Guwahati, for the year 2023-2024, alongwith

Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(g) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(h) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Balmer and Lawrie & Company Limited, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Balmer and Lawrie & Company Limited, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(i) (i) Review by the Government of the working of the Balmer Lawrie Investment Limited, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Balmer Lawrie Investment Limited, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(j) (i) Statement regarding review by the Government of the working of the Engineers India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Engineers India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(k) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat PetroResources Limited, Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Bharat PetroResources Limited, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited

Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item No. 1(k) above.

(3) A Copy of each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Bharat Petroleum Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2024-2025.

(ii) Memorandum of Understanding between the India Oil Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2024-2025.

(iii) Memorandum of Understanding between the Balmer Lawrie & Company Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2024-2025.

(iv) Memorandum of Understanding between the M/s Engineers India Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2024-2025.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नेशनल हाइवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेशनल हाइवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(1205/SNT/SPS)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Respected, Speaker Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under the sub-section (2) of Section 39 of the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Act, 2021:-

(i) The National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Thanjavur, Tamil Nadu Academic Ordinances, 2024 published in Notification No. F. No. I-12052/3/2023-ID in Gazette of India dated 12th October, 2024.

(ii) The National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Kundli, Haryana Academic Ordinances, 2024 published in Notification No. F. No. I-11018/1/2023-ID in Gazette of India dated 7th August, 2024.

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Meat and Poultry Processing Board, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(3) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Meat and Poultry Processing Board, New Delhi, for the year 2022-2023.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दुर्गा दास उइके) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) रामकृष्ण शारदा मिशन, खोंसा, तिराप, अरूणाचल प्रदेश के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण शारदा मिशन, खोंसा, तिराप, अरूणाचल प्रदेश के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजर्वेशन सोसाएटी, अरूणाचल प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजर्वेशन सोसाएटी, अरूणाचल प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, मुर्शिदाबाद के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, मुर्शिदाबाद के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, बेलडांगा, मुर्शिदाबाद के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, बेलडांगा, मुर्शिदाबाद के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, मुलुक बोलपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, मुलुक बोलपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, बालूरघाट, दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, बालूरघाट, दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) गोल्दिहाजाति-उपजाति ब्लू बर्ड वूमेन्स वेलफेयर सेंटर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोल्दिहाजाति-उपजाति ब्लू बर्ड वूमेन्स वेलफेयर सेंटर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-24 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, कुनोर, उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, कुनोर, उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-24 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) रिनचेन जांगपो सोसाएटी, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिनचेन जांगपो सोसाएटी, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) ग्राम विकास परिषद, असम के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 और 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ग्राम विकास परिषद, असम के वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) आदर्श लोक कल्याण संस्था, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आदर्श लोक कल्याण संस्था, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लिए उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) केशम ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, डिंडोरी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2016-2017 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केशम ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, डिंडोरी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) वर्ष 2016-2017 और 2021-2022 के लिए उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) एमपी आदिवासी सेवक संघ, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमपी आदिवासी सेवक संघ, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) पाण्डेय शिक्षा समिति, सतना, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पाण्डेय शिक्षा समिति, सतना, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) खाण्डेराव एजुकेशन सोसाएटी, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खाण्डेराव एजुकेशन सोसाएटी, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) रेणुका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेणुका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) जय हिन्द मित्र मण्डल, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जय हिन्द मित्र मण्डल, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, (बरजुरी यूनिट), घाटशिला, झारखण्ड के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, (बरजुरी यूनिट), घाटशिला, झारखण्ड के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के लिए उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, (सोनारी), जमशेदपुर, झारखण्ड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, (सोनारी), जमशेदपुर, झारखण्ड के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, (पाकुर), झारखण्ड के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, (पाकुर), झारखण्ड के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) रामकृष्ण मिशन ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम, झारखण्ड के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम, झारखण्ड के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी, मेघालय के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी, मेघालय के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) इंटरनेशनल रूरल एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन (आईएनआरईसीए) रायपीपला रोड, टिम्बापाड़ा, देदियापाड़ा जिला नर्मदा, गुजरात के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल रूरल एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन (आईएनआरईसीए) रायपीपला रोड, टिम्बापाड़ा, देदियापाड़ा जिला नर्मदा, गुजरात के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) श्री स्वामी सर्व धर्म शरणालय ट्रस्ट, तुमकुर, कर्नाटक के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री स्वामी सर्व धर्म शरणालय ट्रस्ट, तुमकुर, कर्नाटक के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, (सुंदरगढ़ शाखा), जिला-सुंदरगढ़, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, (सुंदरगढ़ शाखा), जिला-सुंदरगढ़, ओडिशा के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिला-खोर्दा, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिला-खोर्दा, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) होली होम, नुआपाड़ा, ओडिशा के वर्ष 2016-2017, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) होली होम, नुआपाड़ा, ओडिशा के वर्ष 2016-2017, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, जिला-कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2013-2014, 2014-2015 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, जिला-कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) नेशनल यूथ सर्विस एक्शन एण्ड सोशल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टिट्यूट (एनवाईएसएएसडीआरआई), संथासरा, डाक घर - संथापुर, बरास्ता: गोंदिया, जिला-ढेंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल यूथ सर्विस एक्शन एण्ड सोशल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टिट्यूट (एनवाईएसएएसडीआरआई), संथासरा, डाक घर - संथापुर, बरास्ता: गोंदिया, जिला-ढेंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) प्रकल्प एटी/पीओ- ज्योतिपुर, जिला - क्योंझर, ओडिशा के वर्ष 2018-2019, 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रकल्प एटी/पीओ- ज्योतिपुर, जिला - क्योंझर, ओडिशा के वर्ष 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) सर्वोदय समिति, गांधी नगर, एटी/पीओ-कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वोदय समिति, गांधी नगर, एटी/पीओ-कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) श्री रामकृष्ण आश्रम पता डाक घर- एम. रामपुर, जिला- कालाहांडी, ओडिशा के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री रामकृष्ण आश्रम पता डाक घर- एम. रामपुर, जिला- कालाहांडी, ओडिशा के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) सोसाइटी फॉर नेचर, एजुकेशन एंड हेल्थ (एसएनईएच), एनडी 19-20, आईआरसी विलेज, नयापल्ली, वीआईपी, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फॉर नेचर, एजुकेशन एंड हेल्थ (एसएनईएच), एनडी 19-20, आईआरसी विलेज, नयापल्ली, वीआईपी, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2020-21 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) विश्व जीवन सेवा संघ, पता-सरधापुर, जिला- खुर्दा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्व जीवन सेवा संघ, पता-सरधापुर, जिला- खुर्दा, ओडिशा का वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस राज्य मणिपुर के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस राज्य मणिपुर के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौबल, मणिपुर के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौबल, मणिपुर के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) चिल चिल एशियन मिशन सोसाइटी, कांगपोकपी, मणिपुर के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल चिल एशियन मिशन सोसाइटी, कांगपोकपी, मणिपुर के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) (एक) सियामसिनपावल्पी, लामका, मणिपुर के वर्ष 2016-17 और 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सियामसिनपावल्पी, लामका, मणिपुर के वर्ष 2016-17 और 2022-23 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) वर्ष 2016-2017 के लिए उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) (एक) ग्रामीय मक्कल अबिविरुधि इयक्कम, कोयंबटूर के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ग्रामीय मक्कल अबिविरुद्धि इयक्कम, कोयंबटूर के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) (एक) नीलगिरि आदिवासी कल्याण संघ, कोटागिरी, तमिलनाडु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नीलगिरि आदिवासी कल्याण संघ, कोटागिरी, तमिलनाडु के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

1206 बजे

(इस समय श्री मणिकम टैगोर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 609(अ) जो दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए, उसमें उल्लिखित विभिन्न उपयोगों/स्थानों के लिए प्रभार्य प्रीमियम की पूर्व-निर्धारित दरों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के लिए कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) महाराष्ट्र मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) महाराष्ट्र मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU): Hon. Speaker, Sir, with your permission, on behalf of Shri Murlidhar Mohol, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Pawan Hans Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Pawan Hans Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Rohini Heliport Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Rohini Heliport Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Two Statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

… (*Interruptions*)

MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA – LAID

1206 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Boilers Bill, 2024 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 4th December, 2024."

2. Sir, I lay on the Table the Boilers Bill, 2024, as passed by Rajya Sabha on the 4th December, 2024.

… (*Interruptions*)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
पहले से चौथा प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2024-25) के निम्नलिखित की गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित 'कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधीन विभिन्न विभागों/संगठनों/संस्थाओं में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(4) गृह मंत्रालय के अधीन 'केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1207 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप संभल वाले विषय पर बोलना चाहते हैं और अब शून्य काल शुरू हो चुका है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: शून्य काल में निशिकान्त जी के बाद आपको सम्भल के विषय पर बोलने दिया जाएगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सम्भल के विषय पर जीरो आवर में निशिकान्त जी के बाद आप बोल लेना। एक-दो लोगों को बोलने देंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: निशिकान्त जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप जल्दी बोलिए।

… (व्यवधान)

लोक महत्व के अविलम्बनीय मुद्दे

1208 बजे

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। विपक्षी पार्टियों का यह काम है कि इनको सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए ये अलग-अलग तरह के मंसूबे पालते रहते हैं। … (व्यवधान) ये घृणा के शिकार हैं। मोदी जी और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे विदेशी फंडिंग के साथ डिरेलमेंट होता है, यह मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं। … (व्यवधान) अभी मीडिया पर्ट एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने एक रिपोर्ट निकाली है। उसने यह कहा है कि ओसीसीआरपी (ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट) एक संस्था है और उसके साथ जीएसीसी है तथा सोरोस फाउंडेशन है। यह उसको मदद करता है तथा … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) गवर्नमेंट और सोरोस फाउंडेशन ओसीसीआरपी चलाता है। ओसीसीआरपी का क्या काम है, भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना … (व्यवधान) इसके साथ ह्यूमैन राइट्स … (व्यवधान) सोरोस कौन है, सोरोस पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है। … (व्यवधान)

सर, मैं केवल संरक्षण चाहता हूं और मैं दस क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। बैंक ऑफ इंग्लैंड को वर्ष 1991 में सोरोस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया।… (व्यवधान) उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वह भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। यदि ओसीसीआरपी कोई भी रिपोर्ट बनाएगा, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्विट करेगी। … (व्यवधान)

सर, तीन मुद्दे हैं। पहला पेगासस है, जिस पर पार्लियामेंट नहीं चली। पेगासस जैसा मामला 18 जुलाई को आता है, वैसे ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) उसको ट्विट करते हैं और यह पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। … (व्यवधान) दूसरा, हिंडनबर्ग का मामला आता है, माइन्स का मामला आता है, कोल का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप बोलना चाहते हैं? आप उनके बाद बोल लेना।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उसके ऊपर … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ट्विट करते हैं, … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ट्विट करते हैं और पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। … (व्यवधान) सर, उसी तरह से वैक्सीन का मामला है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 140 करोड़ लोगों को बचाया। जैसे ही यह वैक्सीन का मामला आएगा, कहेगा कि ब्राजील ने हमको रोक दिया। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गौरव गोगोई जी, आप बोलेंगे?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर जाइए, तब बोलने दूंगा।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उसी तरह से … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ट्विट करेंगे, … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ट्विट करेंगे और यह पार्लियामेंट बंद हो जाएगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सीट पर जाइए। गौरव गोगोई जी बोलेंगे।

… (व्यवधान)

(1210/MM/AK)

माननीय अध्यक्ष : गौरव गोगोई जी, आप सीट पर जाएंगे, तभी तो आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा!

… (व्यवधान)

1210 बजे

(इस समय श्री मणिक्कम टैगोर और कुछ अन्य माननीय सदस्य
अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सदन के लीडर ऑफ ओपोजिशन से केवल दस सवाल हैं कि ओपन सोसायटी फाउंडेशन के सलील शेट्टी, जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए थे, उनसे आपका क्या संबंध है? … (व्यवधान) क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? … (व्यवधान) मुश्फिकुल फज़ल से राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर मुलाकात की, जो बांग्ला देश में हो रही जीनोसाइड का जिम्मेदार है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, इनको बैठाइए।… (व्यवधान) सर, यह आपके निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं।… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, मुझे सिर्फ दो मिनट दीजिए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : आनंद मंगनाले, जो शर्जिल इमाम को फंड कर रहा था, उससे आपका क्या संबंध है? इल्हान उमर, रो खन्ना और बाबर अली, जिन्होंने माननीय प्रधान मंत्री के कार्यक्रम का यूएस में विरोध किया… (व्यवधान) उसके साथ आपने मीटिंग की, जो खालिस्तान बनाना चाहता है।… (व्यवधान) जो कश्मीर को अलग करना चाहता है।… (व्यवधान) उसके साथ आपके क्या संबंध हैं? … (व्यवधान)

1211 बजे

(इस समय सुश्री एस. जोतिमणि और कुछ अन्य माननीय सदस्य
आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : इसी तरह से सोरोस ने … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) के साथ मीटिंग की थी।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गौरव गोगोई जी।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, उनको बैठाइए।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : इसी तरह से सोरोस ने … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) के साथ मीटिंग की थी।… (व्यवधान) बी.के. नेहरू के साथ उसके क्या संबंध हैं? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गौरव गोगोई जी।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, भाजपा नहीं चाहती है कि यह सदन चले।… (व्यवधान) भाजपा … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) बोल रही है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गौरव गोगोई जी, क्या आपको बोलना है?

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, मैं बोल तो रहा हूं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गौरव गोगोई जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : राहुल गांधी जी देश में अमन चाहते हैं।… (व्यवधान) … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) … (व्यवधान) … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)… (व्यवधान) राहुल गांधी जी को रोका गया है।… (व्यवधान) राहुल गांधी जी, संभल में अमन और चैन चाहते हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1212 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/YSH/UB)

लोक सभा चौदह बजे पुन: समवेत् हुई।

(श्री जगदम्बिका पाल पीठासीन हुए)

…(व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले- सभा पटल पर रखे गए।

1401 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभापटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई थी, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभापटल पर रखने की कृपा करें।

Re: Need to ensure daily payment of wages to the Job Card Holders under MGNREGA

SHRI BALABHADRA MAJHI (NABARANGPUR): It is observed that payment to the Job Card holders under MGNREGA is getting delayed by 15 days to years in some cases. MGNREGA scheme was initiated with the objective to provided sufficient man-days of works during off season to enhance income of the poor families as well as to stop migration. Due to it's poor payment cycle, daily wage earners are preferring to move out of their villages/districts/states with a hope to get timely payment. In course of time these poor labourers are getting exploited at their places of works with marginal income or not getting payment at all To overcome these difficulties, all the stakeholders were consulted and almost all were of unanimity that migration can be almost stopped if payment under MGNREGA is made on daily basis. However, these also do not seem to be easy as at times there is no fund in the accounts under MGNREGA scheme. The present guidelines do not permit corpus fund by the State Governments. Therefore, the Hon'ble Minister is requested to ensure daily payment to the labourers by upgrading the technical systems and ensure adequate fund in the MGNREGA accounts. (ends)

Re: Need to declare Gandhamardan Parbat located in Bargarh Parliamentary Constituency as national asset and develop it as a Centre of Tourism, Sports and Sustainable Development

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र बारगढ़ (ओडिसा) में गंधमर्दन पहाड़ की लगभग 97 किमी लंबाई हैं और यहां से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं। साथ ही, यहा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा पहचानी गई 256 से अधिक दुर्लभ औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। ये पहाड़ियां ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तरी ढलान पर स्थित नरसिंहनाथ और दक्षिणी ढलान पर हरिशंकर मंदिर श्रद्धेय ऐतिहासिक स्मारक हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसे अपनी यात्रा वृतांत में "परिमलगिरी" नामक बौद्ध धरोहर स्थल के रूप में उल्लिखित किया है। इन पहाड़ियों के आसपास 50 हज़ार से अधिक जनजातीय लोग निवास करते हैं, जिनका जीवनयापन इन पहाड़ियों के पर्यावरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। 1983 में कांग्रेस सरकार ने इन पहाड़ियों को खनन हेतु पट्टे पर दिया, जिसके विरोध में स्थानीय जनजातीय समुदायों ने व्यापक प्रदर्शन किए और 1988 में पट्टा रद्द कर दिया गया। इसके बाद कई सरकारों ने खनन की योजना बनाई, लेकिन हर बार जनजातीय समुदायों के विरोध ने इसे रोका।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि गंधमर्दन पहाड़ियों को राष्ट्रीय सम्पति घोषित किया जाए और इसे केंद्रीय पर्यटन, खेल और सतत विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। यह कदम इस धरोहर को संरक्षित करने और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होगा। (इति)

Re: Need to restart Tool Room and Technology Centre in Fazalganj, Kanpur

श्री रमेश अवस्थी (कानपुर) : आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कानपुर शहर के औद्योगिक स्वरूप को एक बार पुनः स्वर्णिम बनाने के लिए लगभग १० वर्ष पूर्व कानपुर महानगर स्थित फ़ज़लगंज में कौशल विकास को प्राथमिकता देनें के उद्देश्य से ११८ करोड़ रुपये की लागत से भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा टूलरूम एवं टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की गई थी सरकार कि मंशा थी की एक ही छत के नीचे लगभग ८००० युवाओं को कुशल प्रशिक्षण दिया जा सके ताकि उनको रोज़गार मिल सके परंतु खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि जो कल्पना भारत सरकार ने की थी वह पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू नहीं हो पायी है जिससे ऐसा लग रहा है कि सरकारी धन का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। टूल रूम का सही उपयोग ना होने के कारण मशीनें जंग खाने लगी है मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है की उपरुक्त टूलरूम का संबंधित विभागों के संयुक्त तत्वाधान में निरीक्षण कराकर युवाओं को रोज़गार देने हेतु टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिये जाने एवं उपरोक्त टूल रूम टेक्नोलॉजी सेंटर में जो भी कमियाँ है उनका निराकरण करते हुए स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति कर यथाशीघ्र सुचारु रूप से चालू कराया जाये ताकि युवाओं को रोजगार मिले।

(इति)

Re: Need to expedite construction of Dr. Yashwant Singh Parmar Medical College in Nahan, Sirmaur district, Himachal Pradesh

श्री सुरेश कुमार कश्यप (शिमला) : आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने नियम 377 के अंतर्गत मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। महोदय आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरी लोकसभा क्षेत्र शिमला के सिरमौर जिले के नाहन में स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज निर्माण में देरी और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के बीच संघर्ष कर रहा है। पहले भी मेरी तरफ से सदन के माध्यम से इस विषय को रखा गया था। महोदय, वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा नाहन जिला अस्पताल को वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने की स्वीकृति दी गयी थी तथा केंद्र और राज्य सरकार के बीच निधि संझाकरण प्रणाली 90 : 10 तय किया गया था | योजना के प्रथम चरण के तहत 189 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए थे। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 170 .१० करोड़ रूपये का सम्पूर्ण हिस्सा जारी कर दिया है, परन्तु वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा योजना का क्रियान्वन और कमीशनिंग का कार्य करने में असमर्थ साबित हो रही है। प्रदेश सरकार इस योजना को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रही है। आज सुविधाओं के विस्तार में प्रगति की कमी के कारण क्षेत्र की स्वास्थय समबन्धित माँगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में असमर्थता पैदा हो गई है। 8 वर्ष बीतने के बाद भी आज पूर्णतः कार्यात्मक संस्थान नहीं हो पाया है। लगभग 1000 रोगियों की औसत दैनिक उपस्थिति वाले बाह्य रोगी विभाग में अत्यधिक भीड़ होने के कारण चार डॉक्टरों को एक ही छोटा कमरा साझा करना पड़ता है। निर्माण में देरी दो साल से अधिक समय से ठप्प रहने से राज्य में स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा प्रभावित हो रही है। जगह की कमी, अत्यधिक भीड़, सीमित सुविधाएं और अपर्याप्त पार्किंग आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी, कोई एमआरआई मशीन नहीं होने के कारण मरीज को निजी सेवाएं लेने के लिए राज्य से बाहर जाने पर मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से रेडियोग्राफरों और नर्सों की गंभीर, सीमित कक्षाएँ और प्रशिक्षण सुविधाएँ और संसाधनों तक छात्रों की पहुँच कम होना सुविधाओं के विस्तार में प्रगति की कमी के परिणामस्वरूप संस्थान क्षेत्र की मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि केंद्र सरकार इस योजना की गंभीरता को समझते हुए आवश्यक कदम उठायें ताकि यह योजना जल्द से जल्द कर आम जन को समर्पित की जा सके।

(इति)

Re: Alleged sub-standard construction work of Bypass on NH-731 in Shahjahanpur Parliamentary Constituency

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : मैं सदन का ध्यान पुनः दिनांक 27-07-2023 में विगत लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए उस प्रकरण की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें मैंने उल्लेख किया था कि मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-731 के खण्ड शाहजहाँपुर बाईपास से खुटार बाईपास का निर्माण कार्य किया जा रहा है । लेकिन, कार्यदायी एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-731 के उक्त खण्ड में अत्यधिक निम्नस्तरीय सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से कार्य की गुणवत्ता अत्यधिक निम्न स्तर की है। घटिया निर्माण कार्य के कारण सरकारी धन का न केवल काफी दुरूपयोग हो रहा है, बल्कि सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। ये सब अनियमितताएं कार्यदायी एजेंसी द्वारा की जा रही हैं।

मैंने सदन में नियम 377 के अधीन सूचना के अन्तर्गत यह मांग की थी कि मेरे संसदीय जनपद में शाहजहाँपुर बाईपास से खुटार बाईपास तक राष्ट्रीय राजमार्ग-731 पर किये जा रहे कार्य की मंत्रालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय तकनीकी गठित करके विस्तृत जाँच करवाकर इसमें संलिप्त कार्यदायी एजेंसी और अधिकारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए।

इस संदर्भ में, मुझे पूर्व सड़क परिवहन, राजमार्ग राज्य मंत्री, भारत सरकार का अ०शा० पत्र संख्या एच-11016/93/2023-बीपी एवं एसपी दिनांक 10-02-2024 प्राप्त हुआ था, जिसमें अवगत कराया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय ने एक जांच टीम गठित कर स्थानीय निरीक्षण कराया गया है । जांच आख्यानुसार आगे की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । लेकिन, संदर्भित प्रकरण में दोषी कार्यदायी एजेंसी और इसमें संलिप्त अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है, उसकी सूचना मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई है, जो अत्यधिक दुःखद है ।

मेरा सदन के माध्यम से पुनः अनुरोध है कि मेरे द्वारा विगत लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए संदर्भित प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है, उसकी जानकारी मुझे भिजवाए जाने हेतु निर्देशित किया जाए और यदि अभी जांच का कार्य पूरा नहीं हुआ है तो फिर मंत्रालय स्तर पर जो उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की गई है, उसमें स्थानीय सांसद को भी शामिल किये जाने एवं साथ ही तकनीकी समिति के अधिकारियों के साथ स्थानीय सांसद को भी संयुक्त तौर पर निरीक्षण किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए, ताकि वह मौका स्थल पर तकनीकी समिति के अधिकारियों को वास्तविकता से अवगत करा सके और दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।

(इति)

Re: Need to provide stoppage to Howrah-Lalkuan Express at Bhadohi Railway Station and introduce a train from Gyanpur Road Railway Station to Lucknow

डॉ. विनोद कुमार बिंद (भदोही) : मेरे लोकसभा क्षेत्र भदोही की पहचान वैश्विक स्तर पर कालीन कारोबार के लिए जानी जाती है। हजारों करोड़ रुपये की कालीन का एक्सपोर्ट विदेशी बाजारों में होता है। ऐसे में विदेशी आयतक बुनकर और स्थानीय लोगों का आवागमन ट्रेनों के माध्यम से कालीन नगरी भदोही और ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के द्वारा होता है हावड़ा लाल कुआं एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव अगर कालीन नगरी की भदोही रेलवे स्टेशन पर होगा तो क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा इसके अलावा ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन रूट से प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए कोई ट्रेन नहीं है इस रूट पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए ट्रेन आज अति महत्वपूर्ण है इन दोनों मांगों के पूरा होने से कालीन कारोबार और स्थानीय लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा।

(इति)

Re: Need to address the problem of forest fire caused by high tension wire passing over forests in Uttarakhand

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर) :उत्तराखंड राज्य चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है यहां पर वन संपदा बहुत अधिक है यहां के निवासियों की ज्यादातर आवश्यकता इन्हीं जंगलों से पूरी होती है यहां के जंगलों में कई प्रकार की औषधि जड़ी बूटियां भी विद्यमान है रामायण में संजीवनी बूटी का जिक्र भी उत्तराखंड के क्षेत्र में पाए जाने का जिक्र है परंतु गत कुछ बीते वर्षों में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण यहां के जंगलों के ऊपर से बिजली की तारों का जाल सा बिछा हुआ है एक जगह से दूसरी जगह बिजली की सप्लाई जंगलों के ऊपर से गुजरे तारों से होती है वहां गर्मी के मौसम में तारों में शॉर्ट सर्किट होता है और जंगलों में आग लग जाती है जिससे वन्य प्राणी व वन संपदा को प्रत्येक वर्ष बहुत नुकसान होता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार से सलाह कर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन अति शीघ्र किया जाए।

(इति)

Re: Expansion of capacity of Bongaigaon Refinery in Assam

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : बोंगाईगांव रिफाइनरी की स्थापना 1974 में 1.35 एमएमटीपीए क्षमता के साथ की गई थी, जिसे 2.7 एमएमटीपीए तक विस्तारित किया गया था। रिफाइनरी को 2001 में भारी नुकसान हुआ और बंद होने की नौबत आ गई थी। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भारत सरकार द्वारा राहत प्रदान कर इस रिफाइनरी को बचाया गया।

9 फरवरी, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने उत्तर-पूर्व के विकास में रुचि ती और बोंगाईगांव रिफाइनरी के लिए हाइड्रोकार्बन (HC) विजन 2030 प्रकाशित किया, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 में 5 एमएमटीपीए तक विस्तारित किया जाना था।

बोंगाईगांव रिफाइनरी की क्षमता में विस्तार की परियोजना के लिए लगभग १०० बीघा भूमि की आवश्यकता थी, जोकि IOCL के अनुरोध पर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) परिषद ने भूमि आवंटित कर दी थी, लेकिन अभी तक इस परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका है। इस परियोजना के पूरा होने से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो सकेंगे।

आपके माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बोंगाईगांव रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाकर 5 एमएमटीपीए तक करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएँ। (इति)

Re: Need to establish a National Sugar Institute in Meerut, Uttar Pradesh

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुगर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। अभी तक देश में गन्ने के संबंध में रिसर्च, प्रशिक्षण एवं कंसल्टेंसी देने के लिए सिर्फ कानपुर में एक नेशनल शुगर इंस्टिट्यूट है जो 1936 में स्थापित किया गया था। इस इंस्टिट्यूट में वर्तमान में 12 कोर्स है, जिनमें से प्रमुख कोर्स है- पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फर्मेटेंशन एंड टेक्नोलॉजी और बोयलिंग टेक्नोलॉजी। वर्तमान समय में चीनी के साथ साथ शराब, गत्ते, बिजली, एथेनॉल का भी सोर्स हो गया है।

एथेनॉल उत्पादन से देश में अब तक 99 हजार करोड़ रूपये की बचत हुई है, 2025 तक जब ईंधन में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाएगा तो बचत एक लाख करोड़ रूपये प्रति वर्ष हो जाएगी। इन तरह गन्ने तथा चीनी उद्योग का महत्व बहुत बढ़ गया है। इस समय देश में 534 शुगर मिल है। कानपुर का शुगर इंस्टिट्यूट साल मे 325 टेक्नोलॉजिस्ट तैयार करता है। अर्थात् एक शुगर मिल के लिए एक साल में एक टेक्नोलॉजिस्ट भी तैयार नहीं हो पा रहा है। इसलिए शुगर टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रर्मो में परिवर्तन की आवश्यकता है अतः मेरठ में नेशनल शुगर इंस्टिट्यूट खोलने की जरूरत है। (इति)

Re: Need to establish Rail Wagon Repair Workshop in Keonjhar Parliamentary Constituency

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : क्योंझार, जिला ओडिशा का एक प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र है, जो राज्य के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 28 प्रतिशत योगदान देता है। रेल डिब्बों (वैगन) की कमी यहाँ एक बड़ी समस्या है। खनिजों की भारी मांग के बावजूद समय पर वैगन उपलब्ध नहीं हो पाते, जिससे खनिज लदान और बाहर भेजने में देरी होती है। क्योंझार में मौजूद खनिज सम्पदा के समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए यहाँ एक रेल वैगन रिपेयरिंग फैक्ट्री स्थापित किए जाने की आवशयकता है ताकि यहाँ से निकलने वाले खनिजों का समय पर लदान कर बाहर भेजा जा सके और वैगनों की कमी के कारण होने वाले नुकसान से बचा जा सके। इसके अतरिक्त क्योंझार में रेल वैगन रिपेयरिंग फैक्ट्री स्थापित किए जाने से स्थानीय जनजाति के युवाओं को घर पर ही रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा तथा स्थानीय लोगों और युवाओं का रेत विभाग और केंद्र सरकार के प्रति विश्वास भी बढेगा। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझार में एक रेल वैगन रिपेयरिंग फैक्ट्री की स्थापना की जाए जिससे इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हों। (इति)

Re: Need to extend the area under Lucknow Cantonment Board up to Sandila in Misrikh Parliamentary Constituency

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : मेरा संसदीय क्षेत्र मिश्रिख, जनपद सीतापुर (उ०प्र०) एक अति पिछड़ा हुआ अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत सण्डीला, जो जनपद हरदोई में आता है, एक औद्योगिक क्षेत्र है तथा यह मेरे संसदीय क्षेत्र, जिसमें सीतापुर, हरदोई एवं कानपुर नगर जनपद शामिल है, के मध्य में पड़ता है। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य की राजधानी लखनऊ कंटोनमेंट क्षेत्र है और घनी आबादी होने की वजह से यहां कंटोनमेंट क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पा रहा है तथा लखनऊ से सण्डीला की दूरी केवल 60 किलोमीटर है और यहां पर भूमि भी उपलब्ध है। अतः लखनऊ कंटोनमेंट क्षेत्र का विस्तार सण्डीला तक किया जा सकता है। ऐसा करने से मेरे संसदीय क्षेत्र के कंटोनमेंट क्षेत्र का विस्तार सरलता से तीनों जनपद के पिछड़े हुए अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास हो सकेगा।

अतः मेरा अनुरोध है कि लखनऊ कंटोनमेंट क्षेत्र का निकटवर्ती सण्डीला तक विस्तार किए जाने से सार्थक कदम उठाए जाए, जिससे इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सके।

(इति)

Re: Need to develop Gokarna in Uttara Kannada Parliamentary Constituency as a Spiritual Tourism Cluster under Special Assistance to States for Capital Investment

SHRI VISHWESHWAR HEGDE KAGERI (UTTARA KANNADA): I request the Union Government that Gokarna Located in Uttara Kannada Parliamentary Constituency, Karnataka be developed as a Spiritual Tourism Cluster under Special Assistance to States for Capital Investment under Ministry of Tourism.

(ends)

Re: Need to extend the facility of Kisan Credit Card to Animal Husbandry and Dairy Sector

श्री हरीश चंद्र मीना (टोंक-सवाई माधोपुर) : पशुपालन एवं डेयरी विभाग को एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के किसानों और और पशुपालकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर, डेयरी एवं पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत किसानों को कृषि क्षेत्र के समान सुविधाएँ प्राप्त नहीं होती हैं, जिससे वे अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे अकाल, अतिवृष्टि, शीतलहर आदि की स्थिति में किसानों को राहत मिलती है, परंतु डेयरी एवं पशुपालन क्षेत्र के लिए इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः डेयरी एवं पशुपालन को कृषि क्षेत्र में शामिल कर इन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। कृषि क्षेत्र की तरह डेयरी एवं पशुपालन क्षेत्र के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यदि इन सभी सुविधाओं को डेयरी एवं पशुपालन क्षेत्र में भी लागू किया जाता है, तो इससे न केवल हमारे देश के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि हमारे पशुपालक भी आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगे। राजस्थान, जो वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में प्रमुख स्थान पर है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि वे इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। (इति)

Re: Transparency in functioning of Electronic Voting Machines (EVMs)

SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): The issue and doubts with EVMs are not new and continue to persist over every election, ultimately putting apprehensions on people's minds concerning the integrity of the electoral process. Malfunctioning of EVMs and their tampering has been a subject of debate and this would not wither if no reforms are initiated. Like every machine, EVMs, being electronic devices, are vulnerable to hacking or manipulation, which could undermine the integrity of elections. Major concerns include the lack of transparency in the machine's programming. While manufacturers maintain that modern EVMs are secure, and equipped with safeguards like voter-verified paper audit trails (VVPAT), doubts persist due to occasional technical glitches and allegations of malfeasance. These discrepancies in EVMs have raised serious concerns about their ability to ensure free and fair elections. We demand that the Government take immediate action to address these issues by ensuring greater transparency in the functioning of EVMs. Implementing 100% cross verification of EVM votes with VVPAT slips must be taken urgently and at all poll booths. If the Government fail to guarantee transparency in the functioning of EVMs, a return to the ballot-voting system should be imminent to restore public confidence. (ends)

Re: Upgradation of National Homoeopathy Research Institute in Mental Health (NHRIMH) at Kurichy, Kerala as AIIMS, Homoeopathy

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister of AYUSH to the urgent need for upgrading the National Homoeopathy Research Institute in Mental Health (NHRIMH), located in Kurichy, Kerala, to a premier institution akin to an AIIMS for Homoeopathy. The NHRIMH, currently recognized as a pivotal institution for mental health research in Homoeopathy, has immense potential to serve as a national center of excellence in this field. Upgrading it to the status of a Homoeopathy AIIMS would not only elevate its infrastructure but also position it as a leader in advanced research and patient care. To achieve this, it is essential to appoint permanent staff, including a full-time Director and qualified teaching personnel, to ensure stability and consistent academic and clinical excellence. It is also necessary to introduce graduate courses, including Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS) to broaden the scope of education and integrate complementary systems of medicine. Such measures would significantly enhance the institution's capacity to address the growing demand for mental health solutions and further strengthen India's traditional and integrative healthcare systems. I urge the Hon’ble Minister to take prompt action in this regard to benefit the health and education sectors in Kerala and across the country. (ends)

Re: Need to ensure adequate supply of DAP and Urea to farmers particularly in Uttar Pradesh

सुश्री इकरा चौधरी (कैराना) : मैं आपका ध्यान भारतवर्ष में यूरिया और डीएपी की भारी कमी की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं, जिससे देशभर के किसान, विशेषकर उत्तर प्रदेश के किसान, बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। खाद की कमी के कारण रबी फसल की बुआई पर संकट गहराता जा रहा है।इसके अलावा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों के गन्ना उत्पादक किसानों का शोषण हो रहा है, क्योंकि चीनी मिलें अभी तक गन्ने का उचित मूल्य निर्धारण नहीं कर पाई हैं। किसान विवश होकर बिना मूल्य निर्धारण के ही अपना गन्ना चीनी मिलों को सौंपने पर मजबूर हो रहे हैं। कई स्थानों पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेते हुए तुरंत यूरिया और डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और गन्ना किसानों के लिए मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराई जाए।

(इति)

Re: Water contamination caused by the Ash Dam of NTPC Tanda, District Ambedkarnagar, Uttar Pradesh

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : ग्राम शरीफपुर परगना व तहसील टाण्डा, जिला अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेश के आबादी से 100 मीटर की दूरी पर एन०टी०पी०सी० टाण्डा अम्बेडकरनगर का ऐश डैम बन जाने के कारण उक्त ग्राम में सीपेज बना रहता है। गर्मी के दिन में ऐश डैम की राख से उक्त ग्राम में अत्यधिक प्रदूषण रहता है जिसके कारण ग्राम में पानी भी पीने योग्य नही रहता। पुराने मकान होने के कारण सीपेज के कारण मकानों का गिरने का खतरा बना हुआ है। उक्त ग्राम वासियों द्वारा एन०टी०पी०सी० के अधिकारियों से मिलकर ग्राम की आबादी का अधिग्रहण किए जाने की मांग की गयी है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में ग्राम का सर्वे कराकर उक्त ग्राम वासियों को अन्य जगह बसाने की मांग करता हूँ।

(इति)

Re: Prices of life-saving medicines

SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): I may be provided the information regarding the steps taken by the Government to fix the rational price of life saving medicines. Also, provide the information about the action taken by the Regulatory Body in this regard.

(ends)

Re: Need to provide rope car facility in Raja Desingh Fort in Gingee, Tamil Nadu

SHRI THARANIVENTHAN M. S. (ARANI): The Troy of the East and a Hidden Gem of Tamil Nadu Gingee Fort, also known as Senji Fort is a massive fort complex that spans over three hills in Thiruvannamalai district of Tamil Nadu. It is often called the "Troy of the East" or the "Fortress of a Thousand Pillars". Therefore, it is requested to provide Rope Car Facility in Raja Desingh Fort in Gingee, Tamil Nadu as a number of persons, children and school students visit the fort daily. Rope car facility will be helpful for attract more numbers of tourists. (ends)

Re: Need to rehabilitate people displaced due to floods and erosion and presently residing on railway land in Valmiki Nagar Parliamentary Constituency

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर) : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वाल्मिकी नगर (बिहार) अंतर्गत बगहा के कैलाश नगर में बाढ़ के कारण कटाव पीड़ित परिवार 50 सालों से रेलवे की जमीन पर हजारों की संख्या में बसे हैं। इन्हें स्थायी और अधिकारिक रूप से बासगीत पर्चा दिए जाने की जरूरत है ताकि इन गरीब लोगों को सरकार की योजनाओं तथा आवास, शौचालय आदि का लाभ मिल सके। ये सभी लोग कटाव पीड़ित विस्थापित, गरीब व भूमिहीन है। मेरी सरकार से माँग होगी कि या तो रेलवे अपनी जमीन पर इन्हें स्वामित्व का अधिकार दे या राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर इन्हें बिहार सरकार से भूमि उपलब्ध कराये। क्योकि यहाँ के अलावे इनके पास कहीं भी अपनी जमीन नहीं है। स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र या एलपीसी नहीं बन पाने के कारण ये परिवार सरकारी सुविधा से वंचित है। पुनः मैं सबंधित विभाग के मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इन हजारों परिवार के लिए चिंता करें एवं सरकारी सुविधा तथा आवास की व्यवस्था करवाने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to rehabilitate people residing in the vicinity of Sanjay Gandhi National Park, Mumbai

श्री संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर-पूर्व) : मुलुंड पश्चिम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के निकट में मेरे मुंबई उत्तर पूर्व संसदीय क्षेत्र मे रहने वाले 2000 हजार से ज्यादा परिवारों की स्थिति काफी गंभीर है। कई सालों से रहने वाले इन परिवारों को वन विभाग ने बिना सोचें घर खाली करने का नोटिस दिया है। इस वजह से यह परिवार घर, रोजगार और जरुरी सेवाओ से वंचित रह सकते है। इनमें से कई लोग तो दूसरी जगह रहने का सोच भी नही सकते। इस कार्रवाई से गरीबी और बेघर होने की समस्या बढ़ सकती है। इस समस्या को हल करने के लिये यहाँ पर्यावरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना जरुरी है। इसलिये SRA Project, PAP योजना के तहत इन परिवारों को उसी जगह या आसपास घर देने का प्रयास करने के लिये मैं मंत्रीजी से अनुरोध करता हूँ। अगर ऐसा होता है तो इन परिवारों की परेशानी कम होगी तथा साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। (इति)

Re: Need for expeditious procurement of Soyabean from farmers in Maharashtra

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Across Maharashtra, the government's procurement of soybean has been slow and inadequate, and farmers have found themselves constrained even further by the regulations regarding procurement. As a result, they have been forced to sell their crop in the open market at as low as Rs 3000 per quintal, much lower than even the already far too conservative MSP of Rs 4892. More than a decade ago, soybean farmers were promised an MSP of Rs 6000 per quintal. Yet today, they are forced to sell it at half that rate. Maharashtra's farmers have already been pushed into a corner by soaring fertilizer prices, bolstered by the government's refusal to exempt fertilizers and their raw materials from GST despite recommendations by the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, and its failure to ensure water security. Now, those who had pinned their hopes of repaying heavy debts on this soybean harvest have now incurred further losses and been forced to take on additional loans due to the unprofitability of this year's crop. I urge the government to look into this crisis urgently and take steps to ease our farmers' plight. (ends)

Re: Need to launch residential housing schemes under PMAY for Jhuggi-Jhopri dwellers in Mumbai

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मुंबई में झुग्गी-झोपड़ियों का तेजी से बढ़ता विस्तार शहरी नियोजन के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। यह न केवल शहर के आधारभूत ढाँचे पर दबाव डाल रहा है, बल्कि वहां रहने वाले गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को भी प्रभावित कर रहा है। झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों परिवारों को आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY 2.0) के तहत 10 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यदि इस योजना के तहत मुंबई में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण आवासीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाए, तो झुग्गी-झोपड़ियों की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी affordable housing और गरीब परिवारों के लिए सस्ती किराए की आवासीय योजना भी शुरू की जानी चाहिए जिससे इन सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिलेगा जो आवास खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते |

Affordable और Rental Housing की योजना से झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि यह लोगों को एक सुरक्षित और स्वच्छ आवास का विकल्प प्रदान करेगी। यह पहल न केवल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि मुंबई के शहरी विकास और उसकी संरचना को भी संतुलित बन्नाएगी।

(इति)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपकी बात को सुनूंगा। कल रेलवे संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई है। सभी माननीय दलों के सदस्यों ने चर्चा की है। आप कृपया सुन लीजिए। मैं आपको एलाऊ करूंगा। आप मेरी बात सुन लीजिए।

… (व्यवधान)

1402 बजे

(इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर, डॉ. रानी श्रीकुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कल रेल संशोधन विधेयक, 2024 पर चर्चा हुई थी।

संसदीय कार्य मंत्री, श्री किरेन रिजिजू जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सर, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सदस्यों का यह व्यवहार ठीक नहीं है। … (व्यवधान) बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हर बिल पर चर्चा के लिए समय तय किया गया था। … (व्यवधान) कल रेलवे संशोधन बिल पर चर्चा भी बहुत अच्छी तरह से हुई है। आज रेल मंत्री जी को जवाब देना है। … (व्यवधान) जहां तक जीरो आवर का सवाल है तो स्पीकर सर ने कहा था कि विपक्ष का मुद्दा भी सुनेंगे और पक्ष की तरफ का मुद्दा भी सुनेंगे, लेकिन ये लोग रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर संसद के अंदर आए। … (व्यवधान) मिलकर यह नियम बनाया गया था कि हम प्लेकार्ड नहीं लाएंगे और तस्वीर वगैरह नहीं लाएंगे, लेकिन इन्होंने नियम तोड़ा है। … (व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट के बाहर रंग-बिरंगे और नए-नए कपड़े पहनकर इन लोगों ने एक तरह का फैशन शो शुरू कर दिया है। … (व्यवधान) यह चीज हमारी संसद की गरिमा को गिराती है। … (व्यवधान) इसलिए मैं अपोजिशन पार्टी का खंडन करता हूँ। ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। … (व्यवधान) आपके माध्यम से बीएसी में सब तय किया गया था। आपको रेल मंत्री जी का जवाब सुनना चाहिए। … (व्यवधान) उसके बाद आज दूसरा बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) बिल भी लिस्टेड है। उसको भी पेश किया जाएगा और उसको भी सुनने के लिए मैं इनसे आग्रह करता हूँ। … (व्यवधान) इस तरह का हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। इससे देश में गलत संदेश जाता है। हंगामा करने से वोट नहीं मिलते हैं। अच्छा व्यवहार करने से लोग आपको पसंद करेंगे। लोग डिबेट को सुनना चाहते हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपसे एक अपील की है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, जिसमें माननीय लोक सभा स्पीकर साहब की अध्यक्षता में आप सभी लोग मिलकर तय करते हैं कि सदन में क्या-क्या कार्यवाही होगी और जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपने यह तय किया कि हम रेल संशोधन बिल लेंगे तथा कल आपने और सभी दलों के माननीय सदस्यों ने उस बिल पर चर्चा की, पार्टिसिपेट किया।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब हमें माननीय रेल मंत्री जी का जवाब सुनना है। शून्य काल का समय खत्म हो चुका है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आपको अवसर मिल चुका है। गौरव गोगोई जी, जब निशिकान्त जी ने अपनी बात रख दी थी तो उसके बाद आपको बोलने के लिए अवसर मिला था और आपने संभल का मामला उठाया था। इस तरह से उन्हें भी अवसर मिला था और आपको भी अवसर मिल गया था।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : गौरव जी, आप मेरी बात सुनिए।

… (व्यवधान)

(1405/RAJ/SRG)

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Shri K.C. Venugopal Ji, kindly listen to me.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : अगर मैं आपसे चेयर से कुछ कह रहा हूं, तो कृपया आप सुनें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अध्यक्ष जी ने शून्य प्रहर में कहा था कि पहले हम निशिकान्त जी को बोलने का अवसर देंगे और निशिकान्त जी के बाद गौरव गोगोई जी को बोलने का अवसर देंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप दोनों को बोलने का अवसर मिला है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर आपको लगता है कि शून्य प्रहर में ऐसी कोई बात है, तो आप अध्यक्ष जी से भी मिल चुके हैं और उस पर अध्यक्ष जी का निर्णय होगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया माननीय रेल मंत्री जी का रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 पर उत्तर सुनें।

माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

रेल (संशोधन) विधेयक - जारी

1406 बजे

रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि कल आपने रेल (संशोधन) विधेयक पर विस्तृत चर्चा की।...(व्यवधान) आपके इस फैसले के कारण कुल मिला कर 72 माननीय सांसदों ने अपने विचार यहां रखें। ...(व्यवधान) मैं उन सभी माननीय सांसदों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने डिटेल्स में, इतने सकारात्मक वातावरण में चर्चा की।...(व्यवधान) कल की सकारात्मक वातावरण के बाद, आज भी जवाब सुनने का समय उसी तरह से सकारात्मक हो, तो कितना अच्छा हो।...(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मान्यवर सांसदों से निवेदन करूंगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : बैन्नी बेहनन साहब, माननीय रेल मंत्री जी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो विषय उठाए थे।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, you have raised so many issues.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, the hon. Railway Minister is ready to reply to the concerns raised by the hon. Members.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I request all of you kindly to listen to him.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप सभी वेल को छोड़ें।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी वेल से जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे।

माननीय रेल मंत्री जी।

... (व्यवधान)

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय सभापति जी, कल माननीय सांसदों ने जो विषय यहां रखे, उन विषयों में एक बहुत बड़ा विषय था कि बिल की आवश्यकता क्या है?...(व्यवधान)

माननीय सभापति : गौरव गोगोई जी, एक बार सभी को सीट्स पर ले जाएं।

...(व्यवधान)

1407 बजे

(इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं बहुत आभारी हूं कि आप सभी लोग वेल से जा रहे हैं।

…(व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई है।…(व्यवधान) मैंने कहा था कि नेता विपक्ष…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने अभी उनका नाम नहीं पुकारा है।

…(व्यवधान)

1408 बजे

(इस समय श्री बैन्नी बेहनन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय सभापति : अभी मैंने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन आप फिर ऐसे आ जाएंगे।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय रेल मंत्री जी।

…(व्यवधान)

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय सभापति जी, माननीय सांसदों ने सबसे पहले मुद्दा रखा था कि इस बिल की जरूरत क्या है और क्या इस बिल से पार्लियामेंट के पावर्स पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा।…(व्यवधान) माननीय सभापति जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर आपके सामने यह रखना चाहूंगा कि संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए एनडीए और भाजपा हमेशा प्रतिबद्ध है।…(व्यवधान) विपक्ष के इस तरह के व्यवहार के बजाय संसद की गरिमा हमेशा भारतीय जनता पार्टी बनाए रखती है। …(व्यवधान) संसद में हमेशा ही एक सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो।…(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार और प्रधान मंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी का यही प्रयास रहता है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस सदन की मर्यादा के लिए आपसे आग्रह किया है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You are trying to hold the proceedings of the House.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will not allow that.

… (*Interruptions*)

(1410/KN/RCP)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): No one can hold the proceedings.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप ऐसे मत कीजिए। माननीय रेल मंत्री जी बोल रहे हैं। आप कृपया इधर आ जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : गौरव जी, आप एक बार इन लोगों को अपनी-अपनी सीट्स पर जाने के लिए कहें। आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाइये।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक बार इनको बोलिये कि अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your Deputy Leader is now standing.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप कृपया उनकी बात तो मानें। आप एक बार वेल को वेकेट करें। मैं कैसे सुनूं? मैं आपके नेता को तभी सुनूंगा, जब आप सब लोग इस वेल को वेकेट करेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह क्या? आप वेल में रहेंगे और आपके डिप्टी लीडर बोलेंगे, ऐसे नहीं होगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप वेल को वेकेट कीजिए। आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाइये। आप हमारी बात मानिये।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सब लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Most of the Members are in the well of the House. How will I allow you? Kindly ask your Members to vacate the well.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : ये लोग वेल को वेकेट करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय रेल मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय सभापति जी, इस बिल से दो कानूनों का एक कानून में कंसोलिडेशन होगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट एक मैथड है, जिससे कानूनों का, लीगल स्ट्रक्चर का सिम्पलीफिकेशन हो सके। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1412 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पन्द्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1500/VB/PS)

लोक सभा पन्द्रह बजे पुन: समवेत् हुई।

(श्री जगदम्बिका पाल पीठासीन हुए)

…(व्यवधान)

1500 hours

HON. CHAIRPERSON: Yesterday, 72 hon. Members of Parliament participated in the discussion on the Railways (Amendment) Bill, 2024. And now, the hon. Minister of Railways is here to give a reply.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: कुल 72 मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ने रेलवे संशोधन विधेयक पर अपनी बात रखी।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You should not bulldoze.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : गौरव जी, आप सुन लीजिए। यदि आपको बोलना है, तो पहले निशिकांत जी बोलेंगे। वे बात कहेंगे, फिर आप कहेंगे, तो कैसे होगा?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय रेल मंत्री जी।

… (व्यवधान)

1501 बजे

(इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर, डॉ. मोहम्मद जावेद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

रेल (संशोधन) विधेयक - जारी

1501 बजे

रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) : माननीय सभापति जी, जिस सकारात्मक भावना के साथ कल चर्चा हुई। आज उस चर्चा को आगे ले जाने और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं... (व्यवधान)

माननीय सभापति : ऑनरेबल रेल मिनिस्टर रिप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं, तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी?

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: There is no point of order on any Bill.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: There is no issue. अभी तो हाउस शुरू हुआ है।

... (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I want to raise a point of order. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. K.C. Venugopal, on which issue, do you want to raise a point of order?

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: There is no issue.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Only the speech of the hon. Minister of Railways will go on record.

... (*Interruptions*)*... (Not recorded)*

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय सभापति जी, माननीय सांसदों ने सबसे पहले जो विषय रखा, वह था कि क्या इस बिल से पार्लियामेंट का रोल कुछ कम हो जाएगा।... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से, सभी माननीय सांसदों को... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप लोग सदन की कार्यवाही चलने दें। क्या आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं?

माननीय रेल मंत्री जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय रेल मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। गौरव जी, माननीय रेल मंत्री जी का जवाब हो जाए। आप एक बार माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लें।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: There is no point of order because there is no issue.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय रेल मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। कृपया आप सदन चलाने दें।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Seventy-two hon. Members have participated in the discussion on the Railways (Amendment) Bill, 2024.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, if the hon. Minister wants to reply, you should have some patience to listen to him.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I request you.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : हमने निर्णय दे दिया है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please come to this side of the House.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : इस तरह से सदन नहीं चलने वाली है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : Railways (Amendment) Bill, 2024, जिस पर माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप लोग उनके जवाब को नहीं सुनना चाहते हैं। इसे पूरा देश सुनना चाहता है। वे यह रेलवे अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, तो आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं। इस बिल का जवाब आ जाए, यह कल से चल रहा है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2024 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1504 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 6 दिसम्बर 2024 / 15 अग्रहायण 1946 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।